जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित **चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर** में **दिनांक 05/02/2026 को सायं 04:30 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर"** एवं **"राजस्थान पत्रिका" में दिनांक "01/01/2026"** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स रीजिग ग्रीनलॉजिक प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स रीजिग ग्रीनलॉजिक प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.)** में खनिज– **चूना–पत्थर खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका **ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री दिनेश बाजा, ग्राम खेतोलाव ने कहा कि हमारा खेतोलाव गांव चुना पत्थर ब्लॉक में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत गगवाना में तीन गांव सुरजनियावास, खेतोलाव और गगवाना आते है। मेरा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से निवेदन है कि हमारे तीनों गांवों को गोद लिया जाये तथा तीनों गांवों में एक समान विकास कार्य करवाये जाये। साथ ही खेतोलाव की सबसे बड़ी मांग है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा गांव मुख्यालय से ड़ामर सड़क द्वारा नहीं जुड़ा हैं। कटाणी रास्ता निकाल कर ड़ामर सड़क का निर्माण किया जाये। ग्राम खेतोलाव की 1500 से ज्यादा आबादी है, लेकिन आज तक उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, छोटे–मोटे ईलाज के लिए ग्रामवासियों को दूर–दराज जाना पड़ता है, तो मुख्य रूप से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया जावें। बाकि गांववासियों की तरफ से मांग पत्र प्रेषित किया है। लाईट्स, चिकित्सा, विद्यालय आदि सभी तरह की मांगें मैनें अपनी तरफ से सौंपी है, उन पर विचार किया जाये तथा ज्यादा से ज्यादा गांव में विकास किया जाये।

श्री रामकुमार सोलंकी, ग्राम हरीमा ने कहा कि ज्यादातर जमीन हरीमा की चली जायेगी। अतः अंबुजा फाउण्डेशन से निवेदन रहेगा कि प्रगतिशील कम–से–कम 20 किसानों को ग्रीन हाउस की व्यवस्था की जाये। जिसकी 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए। क्योंकि कम्पनी वाले नौकरी पर तो रखते नहीं है, गांववालों को कुछ तो खाने को चाहिए। साथ ही हरीमा ग्राम के लिए बूंद–बूंद सिंचाई, डैम की भी व्यवस्था की जाये।

एडीएम महोदय ने कहा कि इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि आप इसको सीएसआर फण्ड से डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट भी कर सकते है। कई बार होता है कि 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देती है, उसमें कुछ कम्पनी कर सकती है, जिससे लोगों को अधिकतर फायदा मिल सके। साथ ही जो व्यक्ति यह ग्रीन हाउस लगाता है, उसे ट्रैंनिंग भी मिलती है, कम्पनी उसे कैसे मैंन्टेन करते है, यदि डाइरेक्ट दे तो ज्यादा यूजफूल रहेगा। जनसुनवाई में ग्रामीणों द्वारा कभी–कभी ऐसे सुझाव आते है, जिसे एमबीए, बीए किये हुए लोग भी सोच नहीं पाते है। ''आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।''

श्री जितेन्द्र, हरीमा ने कहा कि सभी गांवों हरीमा, सरासनी, पिथासिया, गगवाना आदि ने अपनी–अपनी बात रख दी है। सभी चाहते है कि मेरा यह काम हो, मेरा वो काम हो। अब एडीएम महोदय आप कम्पनी से यह पूछे कि अगर यह काम नहीं होते है तो फिर हम क्या करें? वो सुनने वाला इंसान कौन है, जिसको हम बतायेंगे कि यह काम हुए नहीं है?

एडीएम महोदय ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर अभी कम्पनी प्रतिनिधि से दिलवायेंगे।

श्री मानवेन्द्र सिंह, ग्राम हरीमा ने कहा कि पिछली बार आप जुलाई 2024 में जनसुनवाई के समय आये थे, तब मैंने एक मांग रखी थी कि स्कूल का जो यह मैदान है, यहां से 11 हजार की लाईन जा रही है, तो आप द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इसे जल्दी ही हटा दिया जायेगा, परन्तु आज तक यह नहीं हटी। इसके अलावा गांव की कुछ मुख्य मांगें है, जो हम चाहते है कि कम्पनी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

जल्द–से–जल्द पूरा करें, जिसमें गांव हरीमा के सभी मार्गों में सी.सी. रोड़ बनाई जाये, क्योंकि सभी रोड़्स पूरी तरफ से टूटी है, अगर सी.सी. रोड़ बनती है तो लम्बे समय तक चलेगी। इसके अलावा प्रमुख चौराहे तथा गवाड़ का सौन्दर्यकरण किया जाये, साथ ही गवाड़ में एक शौचालय का निर्माण किया जाये, जिसका सभी उपयोग कर सके तथा इसी के आसपास प्याऊ भी बनाई जाये। ग्राम हरीमा में उप स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सा केन्द्र बनाये जाये, सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष व पुस्तकालय का निर्माण किया जाये। इसके अलावा एक सार्वजनिक लाईब्रेरी का निर्माण किया जाये, जिसमें गांव के सभी बच्वें और बच्चियां पढ़ सके। गांव के युवाओं को स्कॉलरशिप दी जाये, जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा मेद्यावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उसी प्रकार से अंबुजा सीमेंट या फाउण्डेशन द्वारा बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाये। साथ ही गांव के उत्कर्ष खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जाये, ताकि आगे जाकर वह किसी टुर्नामेंट में खेल सके। स्थानीय युवाओं को कम्पनी में रोजगार दिया जाये, स्थानीय ठेकेदारों को काम में प्राथमिकता दी जाये। महिलाओं को सिलाई, ब्युटीपार्लर, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोससिंग आदि में प्रशिक्षण व रोजगार दिया जाये। वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण किया जाये। गांव में खुब सारें ऐसे परिवार है, जिनके पास पानी इकट्ठा करने के साधन नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा टांकें बनाये जाये, और उनके ही बनाये जाये जो वास्तव में निर्धन है। मैं चाहता हूं कि कम्पनी की जो टांकों की स्कीम है, उसका विस्तार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। इसके अलावा भारत सरकार एवं मोदी जी का सपना है "ओडीएफ मुक्त", तो इस गांव को भी खुले में शौच मुक्त करने के लिए, शौचालयों के लिए सहयोग राशि प्रदान की जाये या बनाये जाये। इससे गांव स्वच्छ हो जायेगा। खेल स्टेडियम बनाये जाये, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाऐं हो। उत्कर्ष खिलाड़ियों को कम्पनी स्पॉन्सर करें एवं इसके अलावा अन्य बहुत सी मांगों के लिए यह मांग पत्र है, जो मैं आपको सुर्पुद करता हूं।

एडीएम महोदय ने कहा कि मानवेन्द्र जी की सभी बातें बहुत अच्छी रही है, इसमें से एक बात बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि जहां हम जन सुनवाई कर रहे है, उस खेल मैदान के ऊपर से हैवी लाईन जा रही है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए सरकार की एक स्कीम है कि 50 प्रतिशत वह व्यक्ति, जिसके घर के ऊपर या जिस जगह से जा रही है तथा 50 प्रतिशत सरकार कर देगी। आपने यहां पहले भी जन सुनवाई की तथा भविष्य में हम यहां और भी जनसुनवाई करेंगे। अपने पास यह जो मांग आ रही है, आप सोमवार को सीएसआर के तहत आप सहमति दे देवें,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

ताकि हम इसका एस्टीमेंट बनाकर एक–दो महीने में इस लाईन को शिफ्ट कर देंगे। कैमरे के सामने कमेंटमैंट कर दिया है कि आधे पैसे अम्बुजा सीमेंट देगी तथा आधे पैसे सरकार भुगतेगी। आपके यहां ग्राउड से लाइन हट जायेगी।

श्री अनिल बारूपाल, ग्राम डेह ने कहा कि आज यहां अम्बुजा सीमेंट्स के ब्लॉक्स PSB01, PSB02, PSB06, तथा PSB07, इनकी जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा। इसमें मुख्य पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए यह जन सुनवाई रखी गई है। इसमें यहां एडीएम महोदय, आरओ महोदय, कम्पनी प्रतिनिधि एवं उपस्थित लोंगों ने भी जागरूकता दिखाई, इसके लिए इनका धन्यवाद्! मेरा सर्वप्रथम यही निवेदन है कि गांववालों ने अपनी मांगों को लेकर जो मांग पत्र सौंपे है, उन सभी की सुनवाई हो, तथा महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाये जाये। लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में भी मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा, जैसे खेजड़ी को बचाने के लिए कम्पनी क्या करेगी? खेजड़ी को बचाने के लिए जगह–जगह लम्बे आंदोलन चल रहे है, बीकानेर में आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद है। खेजड़ी को बचाने के लिए सरकार से कानून की मांग भी कर रहे है। मैं यहां चारों ब्लॉक्स के लिए बात करू तों यह इस खनन क्षेत्र में खेजड़ी को बचाने के लिए कम्पनी की क्या व्यवस्था अथवा प्रयास रहेंगे? साथ ही क्षेत्र में राज्य पशु चिंकारा भी बहुतायत में है, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा कि मोर को वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची प्रथम में रखा गया है, उसको मारना, उसको प्रताड़ित करना, अपराध है और इस क्षेत्र में हमारे हिम्मताराम जी भाम्भू ने पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र चला रखा है, वहां पर तथा इस पूरे एरिया में मोर की बहुत संख्या है, तो उनको बचाने के क्रम में क्या प्रयास रहेंगे? कम्पनी का जो भी खनन क्षेत्र है, उसके 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करना होता है, वो कौन–कौन से एरिया में कम्पनी द्वारा किया जायेगा? कम्पनी ने चार ब्लॉकों में तालाबों की जो संख्या बताई है, उसमें दोबारा सर्वे करने की आवश्यकता है। सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, इसमें कुछ तथ्य छुपाये गये है। इसके अलावा क्या इन चार ब्लॉकों में स्टोन क्रेशर लगाने का प्रावधान रहेगा? अगर क्रेशर लगेगा तो उससे जो धूल मिट्टी उड़ेगी, उससे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी तथा सुरक्षा के लिए क्या उपाय होंगे? क्रेशर से लेकर प्लांट तक इस पत्थर को ले जाने में प्रयुक्त होने वाले परिवहन के साधन से उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण के लिए क्या उपाय हैं? अगर कम्पनी के भारी परिवहन साधन गंवाई रास्तों से गुजरेंगे तो दिक्कत आयेगी, जिसके लिए कम्पनी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

को खुद के रास्तें बनाने होंगे। खेजड़ी के बारें में पहले भी कहा कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह राजस्थान तथा रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है। खेजड़ी जन्म से मरण तक काम आती है। केर तथा खेजड़ी से उत्पन्न सांगरी की सब्जी से स्वस्थ अन्य कोई सब्जी नहीं हो सकती, यह अमृततुल्य है, क्योंकि इनकी पैदावार में किसी प्रकार का किटनाशक अथवा खाद का उपयोग नहीं किया जाता, अगर इस खनन क्षेत्र से यह हटा दी जायेगी तो, इनके लिए कम्पनी के प्रभावी कदम क्या रहेंगे? वृद्ध लोगों को जानकारी है कि जब छप्पना अकाल पड़ा था, उस समय लोंगों ने खेजड़ी के छाल (छौडें) खाकर अपनी जिन्दगी बचाई थी। अतः खेजड़ी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्य पशु चिंकारा को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी बातें चारों ब्लॉक्स के लिए है, केवल एक ही ब्लॉक के लिए नहीं है। जो भी मांग पत्र ग्रामीणों ने प्रस्तुत किये है, उन सभी पर सुनवाई हो, उनकी पूर्ति हो, सारे काम हो, ताकि लोग आप के साथ जुड़े, आप पर विश्वास करें तथा आप का सहयोग करें।

एडीएम महोदय ने कहा कि अंबुजा सीमेंट फाउण्डेशन की अधिकत्तर लोगों ने बहुत तारीफ की तथा और ज्यादा अपेक्षाएं लोगों ने की है। वैसे भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे और अपेक्षाऐं जागती है, यहीं कारण है कि कुछ और अपेक्षाऐं लोगों ने की है। कम्पनी सीएसआर एवं सीईआर फण्ड का बहतर उपयोग करें। एक प्रश्न था कि किस प्रकार माईनिंग ब्लॉकों में माईनिंग करेंगे, उसके सम्बन्ध में कम्पनी प्रतिनिधि बतायें।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि खनन प्रक्रिया में सबसे पहले ऊपरी मृदा एवं ओवरबर्डन को हटाया जायेगा। तदपश्चात इसमें ड्रीलिंग एवं ब्लास्टिंग की जायेगी। इन चारों ब्लॉक्स में कोई भी क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। इनके पास ही स्थित ब्लॉक 3D2, जिसकी अभी पर्यावरण स्वीकृति बाकि है, उसी में क्रेशिंग होंगी। एक प्रश्न था, चिंकारा एवं मोर के लिए, इसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि इसमें कम्पनी ने कंजर्वेशन प्लान बनाया है, जिसमें कुल 4.87 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये है, अनुसूचियों एवं प्रजातियों के लिए, उसमें चिंकारा एवं मोर दोनों को शामिल किया है।

एडीएम महोदय ने जन समुह को अपनी बात रखने हेतु आमंत्रित किया।

श्री राधाकिशन भाम्भू, ग्राम सुरजनियावास ने कहा कि कम्पनी के प्रतिनिधि से यह पूछना चाहता हूं कि अगर कम्पनी बूंद–बूंद सिंचाई में सब्सिडी देती है, एवं सरकार का नियम है कि अगर आज सब्सिडी ले ली, अगले 7 साल तक बाद ही

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

देंगे, तो सरकार से जिस खसरे पर सब्सिडी ले ली गई है, उस पर कम्पनी द्वारा सब्सिडी दी जायेगी अथवा नहीं? अन्यथा कम्पनी सब्सिडी दे दे तो क्या सरकार उस पर सब्सिडी देंगी अथवा नहीं?

श्री प्रशांत रंगा, अंबुजा सीएसआर ने कहा कि सब्सिडी शब्द सरकार का ही शब्द है, कम्पनी आपके खर्च के अन्दर सहयोग करती है, इसमें उन किसानों का भी सहयोग करते है जो सरकार से भी सब्सिडी लेते है। माना 1 लाख रूपये की ड्रीप लगाई गई, उसमें 70 हजार सरकार ने सब्सिडी दी तथा 30 हजार किसान जेब से भर रहा है, तो उस 30 हजार में कम्पनी अपनी तरफ से 15 हजार देती है, तो किसान की जेब से केवल 15 हजार ही लगते है एवं 1 लाख की ड्रीप लग जाती है। हम जिस किसान को सहयोग देते है, उस किसान के सहयोग के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि इस साल दे दी तो आगे नहीं देंगे। अगर उस किसान के पास पैसे थे, उसने दो हैक्टेयर में लगाई, अब अगर वह 4 हैक्टेयर में लगाना चाहे तो 4 हैक्टेयर के लिए भी सहयोग देते है।

श्री नरपत, ग्राम हरीमा ने कहा कि जिस प्रकार जे.एस.डब्ल्यू. की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई हुई थी, जो प्लांट भी बन चुका है, रोड़ भी बन चुकी है, इसमें कितनी खेजड़ियां कटी होगी, परन्तु कम्पनी के द्वारा एक भी पेड़–पौधा नहीं लगाया गया है, और अगर कोई लगाया भी है तो उसकी व्यवस्था नहीं हुई, पानी नहीं मिला, वह खत्म हो चुके है, तो लगाने से क्या फायदा? उनको पानी देना, उनकी सुरक्षा करना आदि के बाद वह बड़ा पेड़ होगा।

श्रीराम ग्राम पिथासिया ने कहा कि आज कम–से–कम 10–11 साल हो गये है, क्या कम्पनी की तरफ से कहीं पर भी पेड़ लगाया अथवा पनपाया है? पर्यावरण की केवल बातें ही करते है, लेकिन एक भी पेड़ नहीं पनपा रहे है, यहां हरीमा में भी कहीं कोई पेड़ नहीं लगाये।

एडीएम महोदय ने अम्बुजा के प्रतिनिधि से कहा कि कम्पनी द्वारा कहां–कहां पौधारोपण किया गया है एवं पिछली जन सुनवाई से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं हुई? इसके सम्बन्ध में बतायें।

श्री प्रशांत रंगा, अंबुजा सीएसआर ने कहा कि अभी तक अंबुजा सीमेंट को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए इस क्षेत्र में अभी तक कम्पनी द्वारा पौधारोपण नहीं किया गया है। कम्पनी के पहले से स्थापित क्षेत्र में 1 लाख से अधिक का पौधारोपण किया गया है, जिसमें से 70 प्रतिशत पेड़ जीवित है। इस

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्र से कुछ किसानों से शमसान भूमि एवं रोड़ साईड पौधारोपण के लिए हमसे पौधे लिये थे, तो कम्पनी द्वारा उन्हें पौधें उपलब्ध करवाये गये, परन्तु खुद से पौधारोपण अभी तक नहीं किया गया है।

एडीएम महोदय ने कहा कि जिस क्षेत्र में कम्पनी माईनिंग करती है अथवा कार्य करती है, वहां पर सार्वजनिक जगह पर चारदिवारी के पास में कुछ दूरी लेकर तारबंदी करके उसमें पंक्तिवार पौधारोपण कर सकते है, जिस प्रकार अंबुजा सीमेंट ने नागौर मुख्यालय पर बी.आर. मिर्धा कॉलेज, माड़ीबाई कॉलेज एवं लॉ कॉलेज में किया है, इस प्रकार कार्य करने पर वह दिखता है तथा उसकी सुरक्षा रहती है। अतः कम्पनी से अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार काम करें तथा शुरूआत इसी स्कूल से करें। **एडीएम महोदय** ने **श्रीराम, ग्राम पिथासिया** को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि कम्पनी का कहना है कि पूर्व में जो जनसुनवाई हुई थी, उसका अभी तक काम चालू नहीं किया है।

श्रीराम ग्राम पिथासिया ने कहा कि हरीमा, पिथासिया आदि क्षेत्रों में कम्पनी के कोई पेड़ नहीं लगाये गये है, और बात होती है पर्यावरण की। कहां पर पेड़ लगाये गये है, उसकी जानकारी देवें। अगर नहीं लगाये तो हमसे हस्ताक्षर कैसे करवा रहे हो। हमें यह बताये कि यहां पर पेड़ लगाये है, यहां जाली की गई है, सड़क के पास लगाये हो। ना ही भदाना में स्थापित कम्पनी ने लगाये और ना ही आप लगाओगे। आप झूठ ही पर्यावरण की बात करते हो, ये कैसा पर्यावरण है? या तो पेड़ लगाये अन्यथा यह सब मत करों।

एडीएम महोदय ने कहा कि एक अनुरोध मेरा रहेगा कि इस हरीमा गांव के हिम्मताराम जी भाम्भू साहब ने एक जंगल लगाया है, अगर कोई किसान अपनी सहमति से, अपना खेत जंगल के रूप में विकसित करना चाहे, उसमे कम्पनी को व्यापक सहयोग करना चाहिए। कम्पनी को भी दिखाने के लिए रहेगा, कि यहां पर पौधारोपण किया गया है।

श्री चेतन रावल, यूनिट हेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने कहा कि कम्पनी के 3D2 ब्लॉक के 23 हैक्टेयर गौचर है, उसमें हम पौधारोपण करेंगे एवं 5 हैक्टेयर में खेजड़ी के लिए नर्सरी बनाने के लिए सरकार ने भी यही निर्देशित किया है, जिस पर कम्पनी द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है, वह सिर्फ नर्सरी के लिए है, अगर आसपास के गांव वालों को चाहिए, तो उन्हें उपलब्ध भी करवायेंगे। इन ब्लॉक्स में भी गौचर भूमि है, तो हम यहां भी नर्सरी का काम कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

श्री झूमरनाथ योगी ने कहा कि हमारे गांवों में कम्पनी प्रतिनिधि किसानों को खेजड़ी ले जाने का बोल रहे है, तो यह नहीं होने वाला है। कम्पनी के अन्तर्गत जो चारों ब्लॉक्स है, उसमें जितने पेड़ है, उनकी गिनती करके जिन गांवों में ब्लॉक्स आ रहे है, उन गांवो के चारों तरफ पहले पेड़ लगाये तथा उन पेड़ों को बड़ा करने की भी गारन्टी लेनी चाहिए, उसके बाद हम ग्रामीण स्वीकृति देंगे। यह जो बात है कि धोखें से साईन नहीं कर रहे है, तो हम साईन करने के लिए तैयार है। पर्यावरण बचाना है तो पहले पेड़ लगावो, जितनी खेजड़ी, रोहिड़ा आदि पेड़ कट रहे है, उनकी गारन्टी लेवें। गांववालों द्वारा प्रदूषण से प्रोटेक्शन देने की अथवा अन्य मांग की जा रही है, एक तो वह जरूरत है तथा इस खनन से पहले गांव के चारों तरफ प्रदूषण कम करने का इंतजाम करें। कम्पनी द्वारा परिवहन के लिए गांव के अन्दर से निकलने वाले रास्तों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे गांव के अन्दर प्रदूषण बढ़ रहा है तथा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे कीचड़ है, इन सब के लिए कम्पनी क्या करेगी? किसानों पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है तथा पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से भी किसानों को धमकियां दी जा रही है। जमीन देने के लिए किसान तैयार है, परन्तु किसानों के जमीन की रेट किसानों की मर्जी से तय करें। अगर किसान यहां से जमीन बैचेगा तो कहीं और उसे रहने के लिए जमीन लेनी होगी, वर्तमान में 50–60 लाख अथवा करोड़ में घर बनता है, यहां से छोड़ कर दूसरें गांव में जायेगा, वहां अपने बच्चों को पढ़ायेगा, वहां जमीन भी खरीदेगा, यह सब कितना महंगा पड़ता है, जबकि कम्पनी इतने पैसे नहीं दे रही है, तो गांव को क्यों बर्बाद कर रहे है। हमारा गांव इतनें सालों से भूखा नहीं मर रहा था, आज भी गांव मस्त है, यह कम्पनी आकर हमें गुमराह करके, हमारे किसानों को एवं गरीबों को मार रही है। अगर इन सब में 5 प्रतिशत तो हमें फायदा होगा तो हम देंगे ना। पहले गांव के चारों तरफ पौधारोपण से सुरक्षा करवाये तथा अपना निजी रास्ता निकाले। यहां हर कम्पनी तीन महीने का समय मांगती है, परन्तु काम तो हाथों–हाथ होना चाहिए। पेड़–पौधें लगाये तथा उसकी गारन्टी कम्पनी की होनी चाहिए तथा किसानों के खसरों में जो पेड़ लगे है, उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि स्वीकृति के लिए यहां साईन कर दो, इसलिए मेरा कहना यहीं है किसानों की जमीन की रेट खोलो, किसान जमीन देंगे। कम्पनी की मनमानी चल रही है, किसानों की कोई मान ही नहीं रहा है। जितने पेड़ कटते है, उसके दो गुना गांव के चारों तरफ पेड़ लगाये। गांव के छोटे–मोटे काम एमएलए व एमपी कोटे से तथा सरपंच की तरफ से पूरा कर लेंगे। सड़क की सुरक्षा व अन्य सुरक्षाओं का तो पिछली साल भी बताया था, कुछ नहीं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

हुआ। यहां स्कूल के ऊपर से बिजली की लाईन निकल रही है, इसके बारें में पिछली साल भी बोला था, परन्तु अभी तक नहीं हटी। गांव के अन्दर डीपी है, टावर भी है, उसको बाहर निकालने का बोला, वो भी नहीं हुआ। यह सभी अपने हिसाब से काम कर रहे है, कोई ज्यादा बोलता है तो प्रशासन को लेकर आते है, उसमें कोई फायदा नहीं है। किसानों को परेशान मत करो।

एडीएम महोदय ने कहा कि इनकी तीन मुख्य मांगें रही। एक मांग जमीन की अच्छी कीमत मिले। दूसरी मांग पर्यावरण की रक्षा के लिए जो वादे किये जाते है, उनको अधिकतम निभाये जाये तथा तीसरी मांग में इन्होंने एक पीड़ा जाहिर की जो पूर्व में हमारे एक साथी मानवेन्द्र जी ने भी कही कि इस स्कूल, इस मैदान के ऊपर से एक बिजली की लाईन निकल रही है। जिसके लिए कम्पनी ने कमेंटमैंट कर दिया है कि आधे पैसे कम्पनी तथा आधे पैसे सरकार देगी एवं इसको दो–तीन महीने में हटवा देंगे। अगर दो दिन लगते है तो हम चार दिन बताते है, मैं आपको चार दिन बता कर चार महीने लगाऊ तो अच्छी बात नहीं, इसलिए पहले ही समय थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूं, जल्द ही इस लाईन को हटवा देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर यह काम नहीं होते है तो हम क्या करेंगे? जिसके प्रत्युत्तर में **एडीएम महोदय** ने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से पूछा कि सीएसआर एवं सीईआर में जो कमेंटमैंट किये जाते है, इनकी क्या कार्यवाही होती है तथा आम नागरिक कहां पर अपनी बात रख सकता हैं?

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि अभी जैसे माईन्स की पहले जन सुनवाई हो रही है तो उसके बाद इनकी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होगी, जिसमें ग्रामीणों ने जो भी मांगें रखी है, वह उसमें मैंशन होगी तथा कम्पनी को उन्हें पूरा करना होगा। जिनको वैरिफाई करने के लिए आईआरओ आते है, अगर वह काम नहीं होते है तो इनसे वो करवायेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है कि यह काम होने हैं। आप यह सभी विडियों हमसे आरटीआई के माध्यम से लेकर रख सकते है तथा दो–तीन साल बाद आप चैक कर सकते है कि कौन–कौन से काम हुए है या नहीं हुए है। सभी काम होंगे, आईआरओ आकर चैक करेंगे। फिर भी अगर नहीं होते है तो इसकी शिकायत प्रदूषण मण्डल में कर सकते है।

एडीएम महोदय ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण विभाग से मिलती है तथा यहां पर पर्यावरण विभाग से क्षेत्रीय अधिकारी महोदय बैठे है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, कम्पनी तथा आप ग्रामीणों के बीच जो भी बात हो रही है, उसका साक्षी में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

हूं। जनता की शर्तों पर जो पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, उसमें सभी मैंशन होता है, कि इतने पेड़ लगाओगे, यह–यह कार्य करोगे। जब पर्यावरण स्वीकृति मिलती है तो आप उसकी कॉपी ले सकते है। अगर उसमें 1 प्रतिशत भी कमी आती है तो आप क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को कह कर कार्यवाही करवा सकते है। प्रदूषण पर इतनी सख्ती है कि एक बार अंबुजा सीमेंट प्लांट में एक निर्धारित लिमिट से ज्यादा प्रदूषण हुआ, आजकल सरकार और आगे सोचती है, उन्होंने एरिया में ऐसे सेन्सर लगा दिये है कि वह स्वयं रियल टाइम मॉनिटरिंग करते है, कि 24 घण्टे में कितना धुंआ निकलना चाहिए, कितनी मिट्टी निकलनी चाहिए, वह सेंन्सर स्वयं कैच कर लेते है, तो उस सेन्सर में प्रदूषण प्रदर्शित हुआ एवं 2 महीने तक प्लांट को बंद रखने का आदेश दिया, जब तक वह ठीक नहीं किया तब तक वह प्लांट चालू नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति अपनी शर्तों से, कमेंटमैंट से खरा नहीं उतरता है, तो सरकार को कान मरोड़ने आते है।

श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मेरा यह सवाल पूछने का कारण यह है कि स्वीकृतियां हमने पहले भी कम्पनियों का दिलवाई है। पहले भी कम्पनियां आई है, उनके द्वारा काम नहीं हुए है, जबकि स्वीकृतियां उनको भी मिली है।

एडीएम महोदय ने कहा कि आपको जिस कम्पनी के काम से दिक्कत है, उसकी पर्यावरण स्वीकृति की कॉपी लेकर क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को बताये, उस पर यह कार्यवाही करेंगे।

श्री रामलाल खोजा, ग्राम खेरवाड़ ने कहा कि यह अंबुजा सीमेंट कम्पनी हमारे क्षेत्र ईनाणा, खेरवाड़, रूपासर एवं डिडिया आदि में पहले ही आ चुकी है। इस कम्पनी में दो–तीन ऑफिसर अच्छे आने के बाद यह जो कमेंटमैंट करते है, वह काम पूरे करते है। अगर किसी को सबूत देखना हो तो खेरवाड़ आकर देख सकते है, यहां से केवल 15 किलोमीटर दूर है। वहां पर आप किसी से पूछ सकते है, सरपंच का काम जीरो है एवं कम्पनी का काम क्वालिटी में बहुत अच्छा है। वहां पर पौधें भी लगे है, गांव वालों के सपोर्ट से ही काम होता है, आप इनके साथ रहकर इनसे सही काम करवावों। हमारे वहां तो एक कम्पनी आई, जबकि यहां तीन कम्पनियां आ रही है, इसलिए जितनी मजबूती रहेगी, काम उतना ही अच्छा होगा।

एडीएम महोदय ने कहा कि रामलाल जी के यहां एक कम्पनी आई, जबकि आपके यहां तीन कम्पनियां आई है, तो आप तीन जगह से काम करवा सकते है, बस आप मजबूती रखें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन–समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

श्री चंपालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	चम्पालाल जीनगर	ADM Nagaur	[illegible] 05/2/-
2	Rajkumar Meena	RO, RSPCB, Nagaur	[illegible]
3.	Narsingh	TPR Ngr	[illegible]
4	Chetan Rawal	Unit Head (Ambuja Cements Ltd)	[illegible]
5.	JITENDRA KUMAWAT	AMBUJA CEMENT - MUNDWA	[illegible]
6	Tejas Mudgal	AEE, RSPCB	[illegible]
7	HariRam Saran	ILR Bhadana	[illegible]
8	Ravindra	Patwari Harima	[illegible]
9)	Prashant Ranga	ACF - Mundwa.	[illegible]
10.	RISHIRAJ SINGH RATHORE	AMBUJA CEMENTS	Rishiraj Singh
11	PREM PAUL SHARMA	MUNDWA	[illegible]
12	Sharwan Kumar.	Ambuja cement (AIL)	[illegible]
13	[illegible]	Mundwa	[illegible]
14	Narsingh Ram	Mundwa Land Dep.	[illegible]
15	Shiv Yoni	Mundwa land Dep.	Shiv yoni
16	DIGVIJAY RAWAT	Ambuja Cement /H	[illegible]
17	Bhupendra Singh Rao	Ambuja Cements	[illegible]
18.	SARTHAK TIWARI	J.S.O., RSPCB, Nagaur	Sarthak
19	Hari Soni	JMEPL	Hari Soni
20	Samanvya Singh	J.M. EnviroNet Pvt. Ltd.	[illegible]
21.	K.S. Yadav	Regency green [illegible]	[illegible]
22.	Sanjeev Kr. Singh	ACL	S.K. [illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

	क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23	1	Rajveer Bhakar	J.A.	[signature]
24	2	Hansraj Nagaura	RSPCB	[signature]
25	3.	Vishnu Sharma	Bhadana	[signature]
26	4	GaRiBDAan	Bhadana	[signature]
27	5.	Mayank Kumawat	Ambuja Cement	[signature]
28.	6	Ankit Agrawal	Ambuja Cement-Mundwa	[signature]
29.	7	Dr. Hari Prasad	Ambuja Cement Mundwa	[signature]
30	8	Tushar Ranjan Sahoo	Ambuja Cements Limited	[signature]
31	9	Mayur B. Potkatare	Ambuja Cements Ltd	[signature]
32	10	Surendra Kanawat	Mundwa plant - PSH	[signature]
33	11	Dinesh Kumar	Ambuja Cement Ltd	[signature]
34	12	विनय	MIPL Mundwa	[signature]
35	13	KAMAL SHARMA	Mundwa	Kamal
36	14	Kushal Singh	Mundwa	[signature]
37.	15	GARIB Ram chaudhary	Inana	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
38	जालम सिंह	हरिमा	जालमसिंह
39	पुनमा राम	हरिमा	पुनाराम
40	हरेन्द्र	हरिमा	[illegible]
41	महिपाल	हरिमा	महिपाल
42	गोविन्द	इनाणा	गोविन्द
43	महावीर सिंह	गगवाणा	महावीर
44	भगवती नाथ	हरीमा	भगवती नाथ
45	मानवेन्द्र	हरिमा	मानवेन्द्र
46	सहीराम वाना	भदाणा (संरक्षक) [illegible]	[illegible]
47	Anurag Kuri	Somana.	Anu K
48	[illegible] चौधरी	Somana	[illegible]
49	खेमचन्द	हरीमा	Khem
50	[illegible]	"	[illegible]
51	Ramu	खेरवाड़	[illegible]
52	[illegible] हराम	[illegible]	[illegible]
53	मोहन	मोहन	मोहन
54	नरपतराम डिडेल	[illegible] हरिमा	[illegible]
55	Jabbar Nath	हरिमा	Jabbar Nath
56	मदनलाल	हरिमा,	मदनलाल
57	राजाराम	"	राजाराम
58	रामेश्वर [illegible]	हरीमा	[illegible]
59	गजेन्द्र सिंह	हरीमा	गजेन्द्र सिंह

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
60	सुखदेवराम	केड़लू	सुखदेव
61	चैनसिंह	केड़ल	[illegible]
62	भवानीसिंह	मोखियाना	[illegible]
63	धनसिंह	मोखियाना	[illegible]
64	गरीबराम	डेगाना	गरीबराम
65	Aditya	सोलियाना	[illegible]
66	[illegible]	हरिमा	[illegible]
67	हीरा देवी	हरिमा	[thumbprint]
68	मीरा देवी	हरिमा	[thumbprint]
69	मुन्नी देवी	हरिमा	
70	क्षितिका	हरिमा	Kshitika [thumbprint]
71	पूनम कँवर	हरिमा	पूनम कँवर
72	साक्षी	हरिमा	साक्षी
73	मनिषा	हरिमा	मनिषा
74	कान्ता	हरिमा	कान्ता
75	Bhawana	हरिमा	Bhawana
76	अशोक नाथ	हरिमा	Ashok
77	प्रेम सिंह	हरिमा	प्रेम सिंह
78	भंवरनाथ	हरीमां	[illegible]
79	उगमाराम	हरीमा	[thumbprint] [illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
80	दिलीपनाथ	ग्राम-हरीमा 9950444041	[signature]
81	श्रीकृष्ण	ग्राम हरीमा 9950025816	[signature]
82	luvi rao	हरिमा	luvi rao
83	Kartik King	हरिमा	[signature]
84	कुलदीप नाथ	हरिम	कुलदीप नाथ
85	प्रहलाद राम	हरीमा	[signature]
86	गोपाल ईनाणिया	हरीमा	[signature]
87	सत्येन्द्र ईनाणिया	हरीमा	[signature]
88	मनोज ईनाणिया	हरीमा	[signature]
89	नन्द किशोर	हरिमा	[signature]
90	विक्रम नाथ	सरुसती	[signature]
91	कुलेन्द्र नाथ	सोमणा	[signature]
92	सचीन नाथ	हरीमा	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
93.	नरसीराम	हरीमा	नरसीराम
94.	कुलदीप मौर्य	हरीमा	[illegible]
95	JayarNath.	Harimaa.	J.nath.
96	[illegible] हेतु	"	[illegible]
97		"	[illegible]
98	ताराचन्द	भदाणा	ताराचन्द
99	दिनेश	भदाणा	दिनेश
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101	Bhetnul	Reetlar.	[illegible]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **सायं 04:30 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
103	मंगेश नाथ	हरीमा	[illegible]
104	भरत नाथ	सरासनी	[illegible]
105	महावीर	हरीमां	[illegible]
106	महीपाल	हरीमां	[illegible]
107	Rakesh	हरीमा	Rakesh
108	सुरेश जाटम	[illegible]	[illegible]
109	गरीबराम	रूपासर (उगाणा)	गरीबराम

आज का राशिफल गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

सूर्यास्त: आज शाम 05:52 बजे | **चन्द्रोदय:** आज दोपहर 2:39 बजे
सूर्योदय: कल सुबह 07:25 बजे | **चन्द्रास्त:** आज रात 03:55 बजे

मेष — **उत्साहित और प्रफुल्लित दिखाई देंगे।** व्यवहार और सोच में बदलाव के लिए कृत संकल्पित हो सकते हैं। दिन में कार्य धीमी गति से चलेंगे। मेल मुलाकातों में दिन व्यतीत हो सकता है।

वृषभ — **अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों से मुलाकात होगी।** व्यवहार को संयमित रखना होगा। अति उत्साह से बचें। प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मित्रों की मदद मिलेगी।

मिथुन — **आनंद और प्रेम के साथ सभी चीजों को अनुभव करेंगे।** नए लोगों का साथ जीवन में बदलाव लाएगा। दूर दृष्टि के साथ फैसले लेने होंगे। आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं।

कर्क — **कार्य कुशलता बढ़ेगी।** जिम्मेदारियां के साथ आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ाव बढ़ने की संभावना है। व्यवसायिक लाभ मिलने की संभावना है।

सिंह — **भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण दिखाई देंगे।** सभी का साथ आनंदित करेगा। कार्यों के प्रति रुचि थोड़ी कम रह सकती है। मनोरंजन और मेलजोल में दिन बीतने की संभावना है।

कन्या — **सामूहिक आयोजनों का हिस्सा हो सकते हैं।** निराशा को मन से हटाना होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य शीघ्रता से हासिल हो सकते हैं। शेयर बाजार से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं।

तुला — **नई और पुरानी टीम के बीच सही संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।** कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। सकारात्मक रुख के साथ दिन का आनंद उठाएंगे। धन की उपलब्धता रहेगी।

वृश्चिक — **नए संबंधों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे।** पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा।

धनु — **आशा और विश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे।** किसी खास सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। मेल-जोल बढ़ाने और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

मकर — **निस्वार्थ भाव से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे।** लोगों की प्रशंसा और सम्मान मिलने से प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विलासिता पर बचत खर्च हो सकती है।

कुंभ — **व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाने के लिए मेहनत करेंगे।** राजनीति से जुड़े लोगों को संपर्क बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। किसी खास लक्ष्य की पूर्ति होने के योग बन रहे हैं।

मीन — **कार्य दक्षता बढ़ानी होगी।** साथी कर्मियों की लापरवाही या धीमी प्रगति से कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संकल्पों को करने और दूर दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का दिन है।

ग्रह-नक्षत्र

शुभ वि. सं:	2082	हिजरी संवत :	1447	ऋतु:	शिशिर ऋतु
संवत्सर का नाम:	सिद्धार्थ	मु.मास:	रज्जब 11	मास:	पौष
शाके संवत:	1947	अयन:	उत्तरायण	पक्ष:	शुक्ल

आज का दिन

गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

10, 9 सू मं शु बु, 8, 11 रा, 7, 12 श, 6, 1, 3 गु., 5 के., 2 चं, 4

श्रेष्ठ चौघड़िया: आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8.38 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11.13 से 12.30 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िए 12.30 से 3.05 तक रहेंगे।

तिथि: त्रयोदशी तिथि रात्रि 10.23 तक होगी, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशाशूल: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा।

राहु काल वेला: (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा।

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10.48 तक होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा।

योग: शुभ योग सायं 5.13 तक रहेगा, तदुपरांत शुक्ल योग रहेगा।

करण: कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा, तदुपरांत तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग: रवियोग रात्रि 10.48 से प्रारंभ।

व्रत/दिवस विशेष: प्रदोष व्रत, नववर्ष दिवस, ईस्वी सन् 2026 प्रारंभ, रोहिणी व्रत (जैन)।

चंद्रमा: आज संपूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्च: आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। रात्रि 10.48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा। इन बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर वा, वी, वु, वे, वो पर रखे जा सकते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, दयालु, कृतज्ञ, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं।

मौसम का मिजाज बदला, दो दिन मूंग खरीद बंद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मूण्डवा. बुधवार को बादलों की आवाजाही रही। शाम होने तक मौसम का मिजाज बदल गया। हल्की बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक घुल गई। मूण्डवा में क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर दिन भर किसानों की भीड रही। केंद्र के जीएम विजयपाल भाकर व समिति के अध्यक्ष प्रेमसुख कड़वासरा ने मूंग की गुणवत्ता की जांच कर किसान से चर्चा की। अध्यक्ष कड़वासरा ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण गुरुवार व शुक्रवार को खरीद केन्द्र पर अवकाश रहेगा। इसलिए एक व दो जनवरी को जारी टोकन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग तुलाई आगामी दिनों में की जाएगी। गौरतलब है कि इस सप्ताह प्रतिदिन सौ किसानों को मूंग तुलवाई के लिए बुलाने के मैसेज जारी हो गए थे। खराब मौसम के कारण सैंकड़ों किसानों को परेशानी नहीं हो इसलिए समिति ने दो दिन अवकाश रखा है।

मूण्डवा . मूंग खरीद केंद्र पर गुणवत्ता की जांच करते जीएम व अध्यक्ष।

बदला मौसम, कुचेरा में बूंदाबांदी

कुचेरा. नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव आया। कस्बे में बुधवार शाम को हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से किसानों की उम्मीदें बढ गई है। मावठ की वर्षा से अधिकत्तर फसलों में फायदा होगा। हालांकि कुचेरा सहित खजवाना, छीलरा, रूण, इन्दोकली, देशवाल, जनाणा, मिरजास, ढाढरिया कलां में पान मैथी जैसी संवेदनशील फसल को हल्की बारिश या अधिक नमी से नुकसान हो सकता है। खुले मैदान में सुख रहे पान मैथी के पत्तों के भाव गिर जाएंगे, लेकिन सरसों, गेंहू, चना, जीरा, इसबगोल व तारामीरा की फसलों के लिए यह बारिश जीवनदायी होने काका काम करेगी।

जनजीवन की रफ्तार धीमी

बादल छाए रहने के साथ सर्द हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अलाव तपते नजर आए वहीं पकवानों की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। बच्चे सर्दियों की छुट्टियों के मजे कर रहें है। छतों पर पतंगबाजी का दौर चल रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

फसल बीमा राशि समय पर दिलाने की मांग

तरनाऊ. नागौर व डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में किसानों की ओर से ज्ञापन सौपने के बाद बीमा प्रक्रिया शुरू हुई है। किसान एकता संगटन के नानूराम डूडी ने बताया कि बीमा कंपनियां फसल बीमा क्लेम 2023 को समय पर नहीं दे रही हैं। खराब फसल होने के बावजूद कई किसान क्लेम से वंचित रह गए। इस समस्या को लेकर किसानों ने आठ एसडीएम कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा था, जिससे बीमा प्रक्रिया शुरू हुई। जानकारी में आया है कि कुछ गांवों में किसानों को केवल 20 प्रतिशत, 28 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक ही बीमा राशि दी जा रही है, जो वास्तविक नुकसान के मुकाबले काफी कम है। डूडी ने बताया कि आगामी दो दिनों में जिला कलक्टर, डीडवाना से मिलकर फसल बीमा में हुई विसंगतियों, उचित और न्यायसंगत बीमा राशि दिलाने और बीमा कंपनियों की मनमानी रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक

बड़ी खाटू कस्बे में काँग्रेस की बैठक में उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता।

बड़ीखाटू @ पत्रिका. कस्बे के मेला मैदान में बुधवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष मोती खान शेरानी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष का सम्मान किया गया। वरिष्ठ कार्यकर्ता जमीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सभी वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलना है और संगठन की नींव मजबूत करना आवश्यक है। बैठक में पंचायत समिति सदस्य महबूब, वक्फ कमेटी सदर अब्दुल गफूर, समन दीवान, युवा विकास समिति अध्यक्ष कयुम हुसैन, मदरसा फैजूल इस्लाम के अध्यक्ष हाफिज गुलाम दस्तगीर, मईनुदीन कुरैशी, सैयद शौकत अली, अलीमुद्दीन, असलम, शकील अहमद, सफिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नववर्ष पर वैंकटेश भगवान का शृंगार

मूण्डवा @ पत्रिका. नववर्ष की पूर्व संध्या पर वैंकटेश मंदिर में भगवान का भव्य शृंगार किया गया। रत्न जड़ित आभूषणों व फूलों की मालाओं से भक्तों ने भगवान का शृंगार किया। साथ ही नववर्ष में सुख समृद्धि की कामना की।

देवरीधाम में सत्संग कल

गोटन @ पत्रिका. शिवनगर में शुक्रवार को देवरी-धाम के पीठाधीश्वर रमैयादास महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन होगा। दरियाव खेजड़ा आश्रम के संत पांचाराम महाराज, त्यागी संत रामप्रकाश महाराज नोखा चांदावता, महंत मागूं साहेब भोपालगढ़, युवाचार्य संत रामदास शास्त्री, संत प्रेमदास शास्त्री, महंत भजनदास, संत रामाराम, संत रामवल्लभ, मांगीलाल देवड़ा आकाशवाणी गायक, साध्वी सुखिया बाई रजलानी,भंवर बाईसा पाली सहित विभिन्न पंथ के साधु-संतों का समागम होगा। अमरसिंह बेड़ा व राजू-बेड़ा ने बताया कि इस मौके संतों का बधावणां, गुरु वंदना, मंगलाचरण, भजन-कीर्तन, सत्संग-प्रवचन प्रसादी के कार्यक्रम होंगे।

पौष महोत्सव आज

बुटाटी @ पत्रिका. कस्बे के चारभुजा मंदिर एवं चतुरदास महाराज की तपोभूमि में 1जनवरी को पौष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से होगा। मुकेश कुमार साद ने बताया कि शाम 7:30 बजे मंदिर परिसर में पौषबड़ा प्रसादी का वितरण होगा। महिला मंडल की ओर से मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

मेड़ता सिटी मंडी

चमकी मूंग 8000 से 8500, मूंग 5000 से 7650, चना 5000 से 5200, ग्वार 3800 से 6000, जीरा 17000 से 22000, सौंफ 8000 से 9000, तारामीरा 4800 से 5250, असालिया 6000 से 6500, ईसबगोल 10000 से 12800, सिंधीसुआ 7000 से 8450, रायड़ा 6400 (40 प्रतिशत तेल) रुपए प्रति क्विंटल रहे। तेल प्रतिटीन: श्याम एगमार्ग मूंगफली 2750, श्याम रिफाइण्ड 2500, मीरा एगमार्ग मूंगफली 2680, महालक्ष्मी 2680, पॉवरमैन 2540, सुपर पोस्टमैन 2590, भारतमाता मूंगफली 2750, भारत माता तिल्ली 4200, मान्यता मूंगफली 2650, कृष्णा सोयाबीन 2040, फोरच्यून सोया 2250, किंग सोया 2150, धारा 2150 रुपए रहे। घी देशी (15 किलो): पालीवाल 8200, मधुसूदन 9000, रामसन्स 9000, मदर डेयरी 9000 रुपए। पशु आहार (बोरी)- कलश ब्रांड बिनोला खल 1900, भारत माता तिल्ली खल 2350 रुपए।

सर्राफा मेड़ता सिटी

चांदी (999)- 242700, सोना स्टैंडर्स (10 ग्राम) 137300

फोटो वायरल होने से लोगों में भय

बड़ीखाटू में पैंथर आने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम

बड़ी खाटू कस्बे के पहाड़ी की तरफ वन विभाग टीम गश्त लगाती हुई।

बड़ी खाटू @ पत्रिका. क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिन से सोशल मीडिया पर पैंथर की तस्वीरें वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम बड़ी खाटू के पहाड़ी क्षेत्र में जांच करने पहुंची। बताया जाता है कि वायरल तस्वीरें एआई तकनीक से जेनरेट की गई थीं, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। वन विभाग के रेंजर मनोज कुमार मीणा ने क्षेत्र में गश्त करते हुए लोगों से पैंथर के निशान दिखने के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल पर हर दिन अलग-अलग स्थानों की पैंथर की तस्वीरें सामने आने लोगों में भय व्याप्त है। इस पर रेंजर ने स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें एडिटेड और एआई ऐप से बनाई गई हैं इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के डर से लोगों ने सोशल मीडिया से वायरल तस्वीरें हटा दीं। उन्होंने कहा कि वायरल तस्वीरों से डरने की आवश्यकता नहीं है, वन विभाग की सुरक्षा के लिए गश्त जारी है।

घाटे का सौदा बनने लगे खेती और पशुपालन

अधिकांश नलकूप बंद

रियांश्यामदास @ पत्रिका. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली खेती और पशुपालन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मेड़ता उपखंड क्षेत्र में खेत सूख चुके हैं और नलकूप अधिकांश गांवों में बंद हैं। पिछले दो दशकों में भूजल स्तर लगभग एक हज़ार फुट तक गिर गया है। पहले 100 बीघा सिंचित भूमि होती थी, अब 8-10 बीघा ही मुश्किल से सिंचित हो पाती है।

इस दौरान बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी की लागत कई गुना बढ़ गई है, जबकि फसलों के दाम लागत के अनुरूप नहीं बढ़े। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई है, जिससे उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं है। बिचौलियों, भंडारण और विपणन की कमी के कारण किसान अपनी उपज भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

पशुपालन भी लाभकारी नहीं रहा। चारे, दवाइयां और टीकाकरण महंगे हो गए हैं, जबकि दूध के दाम स्थिर या मामूली बढ़े हैं। छोटे पशुपालक पशुओं की संख्या घटाने या पशुपालन छोड़ने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टिकाऊ, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, लागत घटाना, फसलों के उचित दाम और मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। पशुपालन के लिए चारा विकास, दूध के वाजिब दाम और सरकारी सहायता भी जरूरी है। किसान इकबाल ने बताया कि जब तक खेती और पशुपालन लाभकारी नहीं होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट रहेगा।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB01-प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09.30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Municipal Corporation Alwar (Raj.)

Sr.No./MCA/NIRMAN /2025/ 4041-44 Dt. 24.12.2025

Nit No./44/2025-26 E-Procument Notice Inviting Bid

Bid for civil work of" Various Civil work "at Municipal Corporation Alwar invited for interested bidders up 06.01.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal(http://sppp.raj.nic.in & www.eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is 352.66 lac

UBN No	TENDER ID
DLB2526WSOB28418	2025_DLB_523198_1
DLB2526WSOB28420	2025_DLB_523200_1
DLB2526WSOB28278	2025_DLB_523205_1
DLB2526WSOB28422	2025_DLB_523210_1
DLB2526WSOB28423	2025_DLB_523215_1
DLB2526WSOB28425	2025_DLB_523220_1
DLB2526WSOB28427	2025_DLB_523226_1
DLB2526WSOB28429	2025_DLB_523234_1
DLB2526WSOB28430	2025_DLB_523241_1
DLB2526WSOB28431	2025_DLB_523248_1
DLB2526WSOB28433	2025_DLB_523253_1
DLB2526WSOB28434	2025_DLB_523260_1
DLB2526WSOB28436	2025_DLB_523267_1
DLB2526WSOB28437	2025_DLB_523273_1

Raj.Samwad/C/25/16841
Commissioner
Municipal Corporation, Alwar

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
पॉवर हाउस, आजाद सिनेमा के पास, करणीमार्ग, श्रीगंगानगर-335001
कार्यालय:-0154-2442044, फैक्स:-0154-2442080

क्रमांक :- जोविविनिलि/अधी.अभि./वितरण/गंगा./फा. कार्मिक./प्रे. दिनांक :-

सेवा समाप्ति नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत करवायें, अनाधिकृत रूप से लम्बे समय से सेवा से अनुपस्थित चल रहे हैः–

क्र.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पद	कार्यालय का नाम
1	श्री सुनील कुमार मोदी	श्री शिव शंकर मोदी	एसएसए–II	सहा.अभि. (ग्रा.) सूरतगढ़
2	श्री महावीर प्रसाद	श्री खेमराज	एसएसए–II	सहा.अभि. (वि.) जैतसर
3	श्री योगेश कुमार	श्री विश्मबर दयाल	लाईनमैन–I	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर
4	श्री बलकार सिंह	श्री जगसीर सिंह	टैक्नीशियन–II	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर

लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारणक इनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई है, तदानुसार इनकी सेवाएं समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः तकनीकी सेवा नियम 1975 एवं नियुक्ति आदेश मे निर्दिष्ट शर्तो के अनुसार निगम प्रबंधन द्वारा इन्हे अपना पक्ष रखने का अन्तिम मौका इस ज्ञापन के द्वारा दिया जा रहा है।

इस संबध में कोई भी प्रतिवेदन / पक्ष, यदि कोई हो, तो उक्त नोटिस के प्राप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), जोधपुर डिस्काम, श्रीगंगानगर के कार्यालय में डाक अथवा ईमेल आईडी pojdvvnlsgnr2@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत करे। नियत समयावधि के पश्चात् इस संबध में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नही किया जायेगा।

यह अंतिम नोटिस है अतः कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति मे यह मानते हुए कि आपको इस संबध में कोई पक्ष नही रखना हैं, तदानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सूचित रहे।
अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगंगानगर
राज.संवाद/सी/25/16788
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा (राजस्थान)
(नेक A ग्रेड प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालय)
महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा का अवसर
(राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत पुनर्भरण)
प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2026
◆ Master of Arts (in Various Subjects)
◆ MBA ◆ M.Com ◆ M.Sc. Maths ◆ M.Sc. CS
◆ B.A. ◆ B.J. ◆ BLIS ◆ DLIS
◆ DCA (Online) ◆ योग विज्ञान में डिप्लोमा (DYS)
◆ अन्य डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम
सेमेस्टर प्रणाली
आन्तरिक गृह कार्य व्यवस्था
पुस्तकें नहीं लेने पर 15% फीस में छूट
एक साथ दो डिग्री मान्य
ई–मित्र के माध्यम से प्रवेश
ऑनलाईन आवेदन हेतु स्केनर
विस्तृत जानकारी हेतु www.vmou.ac.in देखें
राज.संवाद/सी/25/16653

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB07 - प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :- [illegible]
6. [illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB02, -प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव - हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :- [illegible]
6. [illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना - पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, - प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125730 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील– नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :- [illegible]
6. [illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर या फेक फैकल्टी पर अब होगी सख्त कार्रवाई

डॉ. विनोद के. दवे | जोधपुर

शिक्षकों की आधार इनेबल्ड अटेंडेंस लागू करनी होगी

देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर फैकल्टी या फेक टीचिंग स्टाफ की परंपरा पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने कॉलेजों को पत्र भेजकर चेताया है। इसमें शिक्षकों की नियुक्तियों के फर्जीवाड़े के मामले में सख्त कार्रवाई करने और इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल को सीधे जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।

एनसीआईएसएम के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉ. मुकुल पटेल ने देश के सभी 700 से अधिक आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा व अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज में फैकल्टी सदस्य कागजों पर तो मौजूद हैं, लेकिन फिजिकल रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो यह गंभीर अनैतिकता मानी जाएगी। इससे न केवल छात्रों का अध्ययन-अध्यापन प्रभावित होता है, बल्कि पूरे आयुष शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

आयोग ने कॉलेजों को आदेश दिया है कि संस्थान में कार्यरत सभी एकेडमिक स्टाफ की सूची को आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) को पूरी तरह लागू करने पर बल दिया गया है, जो सीधे आयोग से जुड़ा रहेगा। बता दें कि वर्तमान में देशभर में 700 से ज्यादा आयुष कॉलेज हैं, जहां लगभग दो लाख छात्र अध्ययनरत हैं। लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं कि कई कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी और मेडिकल ऑफिसर्स केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं। अब एनसीआईएसएम एक्शन मोड में आ गया है।

ऑन पेपर या फेक फैकल्टी जैसी अनियमितताओं के लिए केवल प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि कॉलेज मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है। लाइव अटेंडेंस से सीधे आयोग से जुड़ा होने से पूरी निगरानी संभव हो सकेगी। इससे कॉलेजों में शैक्षणिक गुणात्मक सुधार आएगा। -डॉ. राकेश पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन

शिक्षक बीएलओ को आधा दिन स्कूल में पढ़ाना होगा, बकाया कोर्स पूरा कराएं

भास्कर न्यूज | बीकानेर

10वीं -12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। वहीं नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू किए जाने के कारण अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा भी अप्रैल की बजाय मार्च में ही आयोजित की जानी है। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी 20 से 22 दिनों की कटौती हुई है। ऐसे में परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का बकाया पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए बीएलओ नियुक्त शिक्षकों को आधा दिन स्कूलों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में उपस्थिति अवधि के दौरान वह विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दें ताकि बकाया दिनों में शेष पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाया जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग भी करनी होगी। एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर को पत्र के जरिए अवगत कराया है। विदित रहे कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का काम 15 जनवरी तक पूरा करना है। बीकानेर जिले में लगभग 1638 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त इसमें अधिकांश शिक्षक है।

लूट के माल में गड़बड़ी: जांच में आईओ की रिपोर्ट में रहे झोल पर फोकस

अजमेर | क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 23 लाख रुपए की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने और लूट की रकम बरामदगी में गड़बड़ी की विभागीय जांच जारी है। विभागीय तफ्तीश में अनुसंधान अधिकारी (आईओ) की जांच में कहां-कहां पर झोल हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक लूट के माल की बरामदगी कम दिखाने को लेकर केवल एएसआई ही संदेह के घेर में नहीं है, जांच पूरी होने तक कुछ और नाम इसमें जुड़ सकते हैं। जांच टीम इस बिंदु पर भी काम कर रही है कि एएसआई के निलंबित होने के बाद शेष रकम कैसे दस्तयाब हुई?

पुलिस अधिकारी हालांकि ज्यादा कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई और पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल आईओ द्वारा इस मामले में की गई पड़ताल पर ही उठाया गया है।

॥ तीये की बैठक ॥

अत्यन्त दुःख के साथ सुचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री घनश्याम शर्मा जी (जैमन)** का स्वर्गवास 30.12.2025 को हो गया है। तीये की बैठक 01.01.2026 को हमारे निवास स्थान 560-नार्थ पवनपुरी, बेनाड रोड़, जयपुर पर दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल :- अनीता (धर्मपत्नी), बसन्तजी, नारायण जी, कन्हैयाजी, जगदीशजी (भाई), निखिल- सारिका (पुत्र- पुत्रवधु), पारुल- नितीशजी (पुत्री- दामाद), रवि, अरुण, अवधेश, ब्रजेश, नीरज, नवीन, प्रवीण, दीपांशु, योगेश (भतीजे) एवं समस्त जैमन परिवार बसवावाले- 9460570046, 9413440110.

OFFICE OF THE DY. CONSERVATOR OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

No.: F(Store/DCFWL/2025/ Date:

NOTICE INVITING TENDER

Online Bids for Construction works as per below NIT Number under Wildlife Division Jaisalmer are invited from interested bidders 25.12.2025 to 10.01.2026

Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal https://sppp.rajasthan.gov.in of the State.

Tender ID	NIB Code	UBN No.
2025_FORES_523238_1	FOR2526A3080	FOR2526WSOB04159
2025_FORES_524254_1	FOR2526A3135	FOR2526WSOB04256

DY. CONSERVATOR
OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

प्ररूप–5
(नियम 6(2) देखिये)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी (नागौर) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.मे. / 7573 दिनांक : 26.12.2025

लोक सूचना

निम्नलिखित आवेदकों द्वारा नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासिय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

पत्रावली सं.	जिले व नगर का नाम	नाम व पता आवेदक का	वार्ड / कॉलोनी / गली का नाम भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध भूखण्ड सं. उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई सहित क्षैत्र.			
				उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
552 / 2023–24	नागौर, मेड़ता	भगवती / श्यामलाल जाति–ब्राह्मण निवासी–मेड़ता सिटी	नेणावतों की पोल, सेवगों का मोहल्ला क्षैत्रफल 42.79 वर्गगज	मकान राजेन्द्र का	निकाल व गली	निकाल व रास्ता	सिरोली दिवार व मकान रामेष्वरलाल
152 / 2025–26	नागौर, मेड़ता	अब्दुल कलाम / अब्दुल अजीज जाति–मु. पठान निवासी–मेड़ता सिटी	तलहटी मोहल्ला क्षैत्रफल 152.06 वर्गगज	आम रास्ता	मकान गोरधन लाल का	मकान व दुकानें रसीद व कमला की	दुकानें व मकान सकूर का
153 / 2025–26	नागौर, मेड़ता	गोपाल सिंह / शेर सिंह जाति–राजपूत निवासी–जैसास रोहिट	मालियों का मोहल्ला, षिवबाड़ी क्षैत्रफल 223.60 वर्गगज	रास्ता मोहल्ले की	बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की	मकान प्रकाष व रामस्वरूप का व रास्ता	गुजर गली व बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की
154 / 2025–26	नागौर, मेड़ता	फरीदा परवीन / शरफराजुदीन जाति–मुसलमानसिपाही निवासी–मेड़ता सिटी	संगम विहार के सामने विष्णु सागर रोड़ क्षैत्रफल 161.52 वर्गगज	निकाल व आम रास्ता	मकान हाजी बषीर का	मकान दौलत खां का	निकाल व आम रास्ता
155 / 2025–26	नागौर, मेड़ता	पुष्पेन्द्र,ओमप्रकाश पिसरान राधाकिषन जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	चौमुखा महादेव मन्दिर के सामने मालियों का मोहल्ला क्षैत्रफल 198.00 वर्गगज	ईमारत पुखराज की	मकान रामराज व कालूराम का	मकान दुर्गाप्रसाद का	गुजर व आम रास्ता
157 / 2025–26	नागौर, मेड़ता	मुन्नी / गणपत लाल जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	मालियों के न्याति भवन के पास क्षैत्रफल 103.86 वर्गगज	मकान ओम जी का	बन्द गली	मकान व बाड़ा सुगन जी का	निकाल व आम रास्ता

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 की धारा 69–क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्रात करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्तनियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है ओर मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह लोक सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.12.2025 को जारी की गयी।

राज.संवाद / सी / 25 / 16813 — प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(ऑफिसः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना।)
CIN: U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 04/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना 66 kV वोल्टेज लेवल पर हॉटलाइन वर्किंग के लिए इंसुलेटेड एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और हॉटलाइन टूल्स के निर्माण, टेस्टिंग, सप्लाई और डिलीवरी और हॉटलाइन वर्किंग के लिए मैनपावर प्रदान करने हेतु ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6632 C954/25

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(कार्यालयः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 03/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना हॉटलाइन वाशिंग इक्विपमेंट के निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति और डिलीवरी के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6640 C959/25

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB06,प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति वावत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है।. 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. खनिज अभियंता, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 02:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125775 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में यूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। . उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर। 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/गौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस राम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB01, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रसतुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपरिथत होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125730 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक. 3329/ न.पा.नि./ लोनिवि / 25-26
अम्बिकापुर दिनांक 26/12/2025

-ः ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा अधोसंरचना मद अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में सड़क डामरीकरण, सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्यो (कुल 40 कार्य) हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई है।

विस्तृत निविदा सूचना छ.ग. शासन के ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in & https://uad.cg.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

आयुक्त
पालिक निगम, अम्बिकापुर

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, JANJGIR-NAILA, DISTT-JANJGIR CHAMPA(C.G.)

e-procurement Tender Notice

NIT.NO./2622/PWD/NPP/2025-26 JANJGIR-NAILA, DATE: 29.12.2025

S. No.	System Tender no.	Name of work/description of work	Probable amount of contract (Lac)
1	182562	Revamping of Material Recovery Facility (MRF) including installation of Machinery and construction of Compost Plant in Municipal Areas of Janjgir Naila Chhattisgarh	172.68

The details can be viewed and download online directly from the government of Chhattisgarh e-procurement portal https://eproc.egstate.gov.in on sub portal of though urban administration and development department https://uad.cg.gov.in for more details on the tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal. The last date of bid submission Date 28.01.2026 Time 5.00 pm.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL JANJGIR-NAILA

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र- 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-3.0 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, सरासनी एवं सोमणा तहसील- डेह एवं नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4 जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9. खनिज अभियंता, नागौर। 10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल 13. तहसीलदार, नागौर। 14. तहसीलदार, डेह। 15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- डेह। 17. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 18. ग्राम पंचायत- सोमणा, तहसील- डेह, जिला- नागौर। 19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को सायं 04:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्र लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभात आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) नित्रांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राग पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथगिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/भौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।भवदीय

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला-नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् प्रस्ताव राज्य रतरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् राशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय रवीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को सायः 04:30 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपरिथत होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.), फोनः 0141-2722520

क्रमांकः- F6(1)/RSSB/IT/Mou-RISL/2018-19/ दिनांकः 29.12.2025

विज्ञप्ति

बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञप्ति एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

(प्रीति माथुर)
सचिव

DIPR/C/........../2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/कअ/नाजरात/2025/1193 दिनांक : 31.12.2025

-:: ई-निविदा सूचना ::-

राजस्व न्यायालयों हेतु RRCMS प्रोजेक्ट हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किये जाने हेतु निविदा जारी की जाती है, जिसे कलेक्ट्रेट, अजमेर की आईडी पर निम्नानुसार देखी जा सकती है।

E-Proc. ID	Sppp UBN No.
2025_DTCAJ_524351_1	CAJ2526GLOB00014

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन) अजमेर

कार्यालय नगरपरिषद्, मकराना (डीडवाना-कुचामन)

फोन नं. 01588-240107 फैक्स 01588-240107 ईमेल :- npmakrana@gmail.com

क्रमांकः- न.प.म. / 2025-26 / 4642 दिनांक :- 22.12.2025

निविदा सूचना 10/2025-26

कार्यालय नगरपरिषद् मकराना द्वारा विकास कार्य के लिए योग्य संवेदकों / फर्मों से निविदा प्रपत्र में ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है, http://www.sppp.raj.nic.in/ पर NIB NO. DLB2526A9607 के जरिए देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

UBN NO. DLB2526WSOB28744 to DLB2526WSOB28752

आयुक्त
नगरपरिषद् मकराना

राज.संवाद / सी / 25 / 16835

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in
संपर्क नंबरः 96461-26075, ईमेल आईडीः manager-scada@pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 348/DIT-1122 दिनांक 31.12.2025

डिप्टी CE/IT (A&PM), ग्राउंड फ्लोर, 7-मंजिला बिल्डिंग, PSPCL हेड ऑफिस, द मॉल, पटियाला, PSPCL के विभिन्न ऑफिसों के लिए डेस्कटॉप PC (टॉवर टाइप), मल्टी-फंक्शनल प्रिंटर (MFP) और UPS की खरीद के लिए शॉर्ट टर्म ओपन ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 31.12.2025, दोपहर 12:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः यदि कोई शुद्धिपत्र और परिशिष्ट होगा, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2025-26/6637 C957/25

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई, भरतपुर

क्रमांक :- एफ ( ) लेखा/मुब्लॉशिअनद/2025-26/286 दिनांक :- 29/12/2025

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8 (22) आ.प्र.एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज पत्रांक 18015274 दिनांक 26.09.2025 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान) द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 2673 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विद्यालय भवन सामान्य मरम्मत तथा रंग रोगन आदि हेतु जारी स्वीकृति के कार्य हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय / अर्द्धशासकीय / स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई भरतपुर में स्थित चयनित विद्यालयों में रंग–रोगन / मरम्मत कार्यों हेतु निविदाऐं दिनांक 30 / 12 / 2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 05 / 01 / 2026 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण बेवसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code- EED2526A1136, UBN- EED2526WSOB01442, EED2526WSOB01443 EED2526WSOB01444, EED2526WSOB01447, EED2526WSOB01448 EED2526WSOB01449, EED2526WSOB01450, EED2526WSOB01451 EED2526WSOB01452, EED2526WSOB01453, EED2526WSOB01454 EED2526WSOB01455, EED2526WSOB01456, EED2526WSOB01457 EED2526WSOB01458, EED2526WSOB01459, EED2526WSOB01460 EED2526WSOB01461, EED2526WSOB01462, EED2526WSOB01463 EED2526WSOB01464, EED2526WSOB01465, EED2526WSOB01466 EED2526WSOB01467, EED2526WSOB01468, EED2526WSOB01469 EED2526WSOB01470

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा नदबई, भरतपुर

राज.संवाद/सी/25/16775

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175 ईमेल : def.ngr. forest @rajasthan. gov.in

क्रमांक : एफ ( ) विविध / उवसं / 2025-26 / 10735 दिनांक : 29.12.2025

-: नीलामी-सूचना :-

सर्व साधारण एवं लकड़ी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल अधीन रेंज कार्यालय परबतसर व कुचामन सिटी में जब्त शुद्धा लकड़ी निम्न कार्यक्रम अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी, इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड व्यक्ति/फर्म निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलाम की जाने वाली जलाऊ लकड़ी का अवलोकन निम्न विवरण अनुसार लकड़ी के स्टॉक स्थान है, नीलाम होने वाली जब्त शुद्धा जलाऊ लकड़ी जहां है जैसी है उसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।

क्र. सं.	रेंज का नाम	लकड़ी स्टॉक का स्थान	अनुमानित मात्रा (क्विटल)	अनुमानित राशि/मूल्य	लकड़ी का प्रकार	धरोहर राशि	लकड़ी का निस्तारण/उठाने का समय	लकड़ी नीलामी की बोली लगाने का स्थान/दिनांक व समय
1	परबतसर	नर्सरी खुण्डियास	83.67	37650	सफेदा लकड़ी	3500	10 दिवस	रेंज कार्यालय परबतसर में दिनांक 20.01.2026 समय 12.00 पीएम
			384.07	134425	सफेदा के खड़े पेड़ (कटाई सहित)		05 दिवस	
		रेंज कार्यालय परबतसर	528	158400	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	3200		
2	कुचामन सिटी	नर्सरी आंनदपुरा	527.5	158250	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	5000	05 दिवस	रेंज कार्यालय कुचामन सिटी में दिनांक 20.01.2026 समय 03.00 पीएम
		नर्सरी मिठड़ी	129	38700				
		नाका मारोठ	155	46500				

नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं का दिनांक 20.01.2026 को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि नीलामी तिथि को सुबह 11.00 बजे तक व रेंज कुचामन के लिए दोपहर 02 बजे तक संबंधित रेंज कार्यालय में नकद जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति ही बोली लगाने के हकदार होंगे। बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीकरण सहित अपने निजी पहचान के दस्तावेज (आधार कार्ड व पेन कार्ड) जमा कराने होगे।
2. अन्तिम बोली की स्वीकृति के लिये निलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले के नाम जलाऊ लकड़ी छोड़े जाने की स्वीकृति निलामी समिति द्वारा देने पर सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत राशि उसी समय नकद जमा करानी होगी एवं शेष राशि तीन दिवस की अवधि में डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त कर पुनः निलामी की जा सकती है।
4. बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त/स्थिगित करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
5. सम्पूर्ण राशि नियमानुसार देय टैक्स (टी.सी.एस.) सहित जमा कराने के बाद नीलाम की गई लकड़ी को उपरोक्तानुसार अवधि में उठानी होगी।
6. नर्सरी खुण्डियास में सपेदा के खड़े पेड़ों की कटाई के समय नर्सरी पौधे तैयारी/निर्माण कार्य में कोई नुकसान नहीं करना होगा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक, नागौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक / न्याय / ज.सु.2025 / 948 दिनांकः—05.02.2026

प्रेषितिः—

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर।

विषयः— पर्यावरण जनसुनवाई दिनांक 05.02.2026 के दौरान प्राप्त सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायतों के संबंध में।

—oo—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s Ambuja Cement Limited के ब्लॉक PSB01, PSB 02, PSB06 & PSB07 के पर्यावरण जनसुनवाई स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील नागौर तिथि दिनांक 05.02.2026 को उक्त चारों ब्लॉको हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया।

उक्त चारों ब्लॉकों की पर्यावरण जनसुनवाई के दौरान कुल 27 सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायते प्राप्त हुई है जो मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार चारो ब्लॉकों की कुल 27 मूल सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायत—पत्र

05/2/26

(चम्पालाल जीनगर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट,

नागौर

श्री गणेशाय नमः

RO / RPCB 1/05/2/- (1)

सेवा में,

श्रीमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जयपुर व
श्रीमान ए० डी० एम० साहब नागौर

विषय :- अंबुजा सिमेंट को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की जनसुनवाई के दौरान गाँव के पर्यावरण व विकास कार्यों की चर्चा व व्यवस्था बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस ग्राम सीमा में आज (5.02.2026) से लगभग एक वर्ष पहले भी अंबुजा सिमेंट के एक ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई की कार्यवाही हुई थी। इसमें गाँव वाले किसान भाईयों ने पर्यावरण से सम्बन्धित विकास कार्य के लिए कम्पनी को बोला, उस वक्त कम्पनी ने आश्वासन दिया की हम यह विकास कार्य करवायेगे पर धरातल पर कार्य हुए भी नहीं।

परन्तु आज फिर 5.02.2026 को ~~गाँव~~ कम्पनी की पर्यावरण की जनसुनवाई में गाँव वालों की तरफ से फिर से ग्रामिण विकास व पर्यावरण सुधार के लिए कुछ बातें लिख रहें है पर कम्पनी यह कार्य भी पिछली वर्ष की तरह पुरा करेगी या ग्रामिण विकास के लिए धरातल पर कार्य करेगी। अगर कार्य करेगी तो मैं गाँव वालों की ओर से कम्पनी से आशा रखना चाहता हूँ की कब तक कार्य होंगे। कम्पनी समय भी लिखित में दें एवं उस पेपर पर प्रशासनिक अधिकारीयों के (एडीएम साहब) हस्ताक्षर उक्त लिखित में दे

ग्रामिण विकास कार्य व पर्यावरण सुधार कार्य निम्न प्रकार से है।

1. गाँव के गवाड़ का सौन्दर्यकरण (सौन्दर्यकरण)
2. गाँव में सी०सी० रोड (मुख्य रास्ता) तथा आम रास्तों पर ब्लॉक लगावें
3. गाँव की नाडी (पोखर) की गोलाकार खुदवाई व पक्का तला बनावें।
4. गाँव में खुला बड़ा होद की रिपेयरिंग व गौशाला गायों के लिए पेयजल व्यवस्था करवावें।

5. गांव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेरिंग छत सहित करवावें।

6. गांव के जाड़ में राहगीरों व ग्रामीणों के लिए पेयजल हेतु प्याऊ का निर्माण

7. गांव में 70-75 सोलर लाईट लगवाने की व्यवस्था करें।

8. गांव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार के लिए हॉस्पीटल की व्यवस्था करवावें

9. गांव में महादेव (शिव मन्दिर) की रिपेरिंग छत सहित तथा मन्दिर के आगे बरामदा व टिन शेड बनवावें

10. सम्पूर्ण गांव में गन्दे पानी की निकासी के लिए सिवरेज लाईन की व्यवस्था

11. गांव की नाड़ी के आसपास व ओरण के चारों तरफ पेड़ पौधे लगवावें

12. कम्पनी जब कार्य शुरू करें तो परिवहन के लिए व अन्य वाहन कम्पनी ग्राम वासियों को प्राथमिकता दें व ग्रामीण युवाओं को रोजगार दें।

[signatures]

(2)

RO

RPCB

05/11

सेवा में,

ब्लॉक प्रभारी महोदय

अंबुजा सीमेंट

ब्लॉक

विषय: ग्राम खेतोलाव में आवश्यक विकास कार्य करवाने हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम खेतोलाव में अंबुजा सीमेंट कंपनी का ब्लॉक कार्यरत है। ग्रामवासियों को यह आशा है कि कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ग्राम में कुछ आवश्यक विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे आम जनता को सुविधा प्राप्त हो सके।

ग्राम खेतोलाव में वर्तमान में निम्नलिखित विकास कार्य अत्यंत आवश्यक हैं—

1. माताजी मंदिर परिसर में सीसी ब्लॉक निर्माण।
2. सार्वज़निक समाज भवन का निर्माण।
3. आम गवाड से शमशान भूमि तक पक्की सड़क का निर्माण।
4. शमशान भूमि की चार दिवारी निर्माण।
5. उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण।
6. गांव के तालाब का गहरीकरण, सफाई एंव जल संरक्षण हेतु पक्का कार्य।
7. गांव के विधालय में मरम्मत कार्य, स्वच्छता व्यवस्था तथा बच्चों की मूलभूत सुविधाओं का विकास।
8. सार्वजनिक शौचालय निर्माण।
9. ग्राम पंचायत रागवाना तक पक्की सड़क का निर्माण।
10. गांव के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना।
11.

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विकास कार्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ग्राम खेतोलाव को लाभान्वित करने की कृपा करें। इसके लिए समस्त ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी, ग्राम-खेतोलाव

दलपत सिंह	गणेशदास	कैलाश
खेतसिंह	श्यामसिंह	
मंगलाराम	महावीर सिंह	
नरेन्द्र सिंह	जितेन्द्र	
सुरेश	अजीतसिंह	
जबरसिंह	राजु	

RO / RPCB 1 / 05/11/-

(3)

सेवा में
श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महो०
नागौर

विषय- विकास कार्यमे अम्बुजा सीमेंट को
समर्थन देने हेतु।

मान्यवर
, विनम्र निवेदन है कि मे बरजा देवी जो
कि हरिमा गाँव मे आंगनवाडी कार्यकर्ता हूँ, मै
अम्बुजा सीमेंट से गाँव के विकास हेतु हरघर
मे शौचालय बनवाने की माँग करती हूँ तथा इन
लोगों को प्राथमिकता मिले जो आर्थिक
रूप से कमजोर है तथा समस्त रुपये का
वहन कम्पनी द्वारा किया जावे।
मै अपने गांव के विकास हेतु कम्पनी
को समर्थन देती हूँ। बरजा देवी

R0
RPCB

(4)

सेवा में,
श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय
नागौर (राजस्थान)

विषय – अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी को समर्थन देने हेतु बाबत।

मान्यवर,
नम्र निवेदन है कि मैं सुमन देवी जो कि आशा कार्यकर्ता (स्वास्थ्य) हूँ मैं चाहती हूँ कि हमारे हरिमा गाँव मे उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तथा ANM की नियुक्ति भी की जावे क्योंकि गांव की गर्भवती महिलाऐ एंव बच्चों को दूसरी जगह दिखाने मै समय व पैसे बहुत लगते है इस हेतु हम अम्बुजा सीमेन्ट से निवेदन करते है कि इसमे सहयोग प्रदान करें।
इस हेतु मै अम्बुजा कम्पनी को अपना समर्थन हृदय से करती हूँ।

RO RSPCB

(5)

Subject: Date: / /

05/02/2026

माननीय,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जिला - नागौर, राजस्थान

विषय - ग्राम - हरिमा की विकास कार्य के संबंध में आवेदन ।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि समस्त हरिमा गांव के निवासी की ओर से निवेदन है कि - सड़क, पानी, स्वाथ, शिक्षा, सभी प्रकार कि समस्यों से लड़ रहा है हमारे गांव मे सड़क निर्माण, पानी के छेद, तालाबो का गहरीकरण तथा नवीनीकरण, स्वास्थ के लिए हस्पताल, एंव बेहतर शिक्षा के लिए - विद्यायलयो कि मरम्मत तथा, पुस्तकालय और कम्पुटर क्लास कि अवशकता है आप से अनुरोध है कि अगर अम्बुजा फाउण्डेश द्वारा यह कार्य करवाये गये तो हम इनका समर्थन करेंगे ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी
समस्त हरिमा
निवासी

RO RSPCB

05/02/2026

(6)

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
नागौर

विषय:- अम्बुजा सीमेंट के विकास में समर्थन देने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं विनित शर्मा हरिमा निवासी हूँ। हमारे गाँव की रोड बहुत ही टूटी हुई है और गाँव की नालियाँ भी नहीं बनी हुई है जिससे सड़कों एवं गलियों में हर समय पानी भरा रहता है जिससे गाँव में आने जाने वालों को चलने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए गाँव में सड़कों एवं नालियों का काम किया जावे। जिससे गाँव का विकास हो सके।
अतः इस विकास कार्यों से हम अम्बुजा के विकास के समर्थन देते है।

भवदीय
विनित शर्मा

RO RSPCB
05/02/2026

(7)

मैं,

श्री मान कलेक्टर महोदय,
नागौर (राज०)

विषय :- अम्बुजा सिमेंट विकास हेतु समर्थन देने बाबत।

महोदय : विनम्र निवेदन है कि मैं हरिमा ग्राम स्थित विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में अम्बुजा फाउंडेशन द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

आपके सहयोग से विद्यालय की सुविधाओं में सुधार हो रहा है जिससे विद्यार्थियों को बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक पहल है।

RO RSPCB
05/02/2026

(8)

सेवा मे,
माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
जिला - नागौर
राज्य - ~~राजस्थान~~ राजस्थान

विषय - विकास कार्य मे समर्थन - (अम्बुजा फाउंडेशन द्वारा) ।

महोदय,

अभी कुछ समय से अम्बुजा फाउंडेशन हमारे क्षेत्र मे कार्य कर रही । और हमारे हरिमा गाँव मे अभी तक 3 घरो मे पानी हौद बनवाने मे सहियोग किया, मैं हुकमा राम हरिमा का नीवासी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि और भी घरो मे पानी की होद मे सहियो प्रदान करे साथ ही घर-घर पानी कि सुवीधा हो सके ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी
हुकमा
गाव - हरिमा

ग्रामवासी गगनी:

Ro RSPCB
05/02/2026

(9)

सेवा में

श्रीमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जयपुर व
श्रीमान ए० डी० एम० साहब नागौर —

विषय :— अम्बुजा सिमेंट को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की जनसुनवाई के दौरान गांव के पर्यावरण व विकास कार्यों की चर्चा व व्यवस्था बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस ग्राम सीमा में आज (5.02.20
से लगभग एक वर्ष पहले भी अम्बुजा सिमेंट के एक ब्लॉक की
पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई की कार्यवाही हुई थी। इसमें गां
वाले किसान भाईयों ने पर्यावरण से सम्बन्धित विकास कार्य के
लिए कम्पनी को बोला, उस वक्त कम्पनी ने आश्वासन दिया की हम
यह विकास कार्य करवायेंगे पर धरातल पर कार्य हुए भी नहीं।
परन्तु आज फिर 5.02.2026 को ~~गांव~~ कम्पनी
की पर्यावरण की जनसुनवाई में गांव वालों की तरफ से फिर से
ग्रामिण विकास व पर्यावरण सुधार के लिए कुछ बातें लिख रहे
पर कम्पनी यह कार्य भी पिछली वर्ष की तरह पुरा करेगी या ग्रामिण
विकास के लिए धरातल पर कार्य करेगी। अगर कार्य करेगी तो मैं
गाँव वालों की ओर से कम्पनी से आशवासन चाहता हूँ की कब तक
कार्य होगें। कम्पनी समय भी लिखित में दें एवं उस पेपर पर प्रशास
अधिकारियों के (एडी०एम० साहब) हस्ताक्षर उसे लिखित में दें

ग्रामिण विकास कार्य व पर्यावरण सुधार कार्य निम्न प्रकार से है

1. गाँव के गवाड़ का सौंदर्यकरण (सौंदर्यकरण)
2. गाँव में सी०सी० रोड़ (मुख्यरास्ता) तथा आमरास्तों पर ब्लॉक लगवा
3. गांव की नाडी (जोहड़) की गोलाकार खुदवाई व पक्का तला बनवा
4. गाँव में खुला बड़ा होद की रिपेरिंग व गौशाला गायों के लिए पेयजल

5. गांव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेरिंग छत सहित करवावें।

6. गांव के जोहड़ में राहगीरों व ग्रामीणों के लिए पेयजल के लिए प्याऊ का निर्माण

7. गांव में 70-75 सोलर ऊर्जा लाईट लगवाने की व्यवस्था करें।

8. गांव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवावें

9. गांव के महादेव (शिव मन्दिर) की रिपेरिंग छत सहित तथा मन्दिर के आगे बरामदा व टिन शेड बनवावे।

10. सम्पूर्ण गांव में गन्दे पानी की निकासी के लिए सिवरेज लाईन की व्यवस्था करें।

11. गांव की जोहड़ी के आसपास व ओरण के चारों तरफ पेड़ पौधे लगवावें

12. कम्पनी जब कार्य शुरू करें तो परिवहन के लिए व अन्य वाहन कम्पनी ग्राम वासियों को प्राथमिकता दें व ग्रामीण युवाओं को रोजगार दें।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय
नागौर

विषय : अम्बुजा सीमेन्ट से CSR के तहत कार्य करवाने बा

महोदय जी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन ग्राम खेनर तहसील डेह मे स्थित ख.नं. 417 गैर मु नाडी (काला नाडा) मे चार पट्टा निर्माण करवाने का श्रम करवाये ताकि पशुओ के वर्ष पर्यन्त पानी की सुविधा मिल सके। पास की ख.नं. 418 मे गौशाला संचालित है अतः चार निर्माण से पानी की क्षमता बढेगी और उपयोगी साबित होगी। सेवामे श्रीमान हजूर।

सत्यनारायण
गणपतराम
रमेशशर्मा
रामेश्वर
गणपत खोजा
श्रवणराम
समन्द राम
शम्भुप्रसाद
भवरलाल
9461185548
जीवणराम
...राम

(11)

RO RSPCB

05/01/2026

श्रीमान SDM महोदय,

नागौर,

विषय: ग्राम की समस्याओं के समाधान एवं विकास कार्य करवाने हेतू ।

मैं अनुराग कुड़ी गांव सोमणा से आज इस जन सुनवाई में आपका ध्यान मेरी गांव की ओर करना चाहता हूं आपके इस लाइन ब्लॉक में मेरे गांव के कई खेत आते हैं मुझे गर्व है कि हमारे खेत पहले देश के लिए अनाज दे रहे थे और आज इन्हीं खेतों में दबा हुआ खनिज भी देश के विकास के लिए काम आएगा ।

इस जनसुनवाई में अपने गांव की और से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह हमारे गांव का ध्यान रखते हुए हमारे गांव की विकसित भारत कि राह पर विकसित गांव बनाएं ।

मेरी कुछ निम्नलिखित मांगे हैं जो गांव की ओर से हैं -

1 हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कूल में एक लाइब्रेरी स्थापित की जाए ।

2 स्कूल में खेलकूद से संबंधित सामग्री झूले इत्यादि ।

3 गांव कि मुख्य सड़क का विकास हो और रोड लाइट व गांव के बाजार व मुख्य चौक में लाइट की व्यवस्था हो ।

4गांव के पास में डेह गांव के अंदर सामुदायिक अस्पताल के अंदर लैब से संबंधित उपकरण लगे जैसे सोनोग्राफी मशीन इत्यादि ।

जिस तरिके से Ranga जी nai Mundwa Ka wikas किया है उसी तरिके से वे आपकी [illegible] [illegible] हमारे गांव के [illegible]।

अनुराग कुड़ी

9549999816

Anu. Ku.

(12)

Ro RSPCB
05/02/2018

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके।
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौंच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत गगवाना की 80% आबादी खुले में शौंच करती है अतः ग्राम-गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौंचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्त्रोत तालाब है जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहो में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (हौद) का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व गोचर भूमि में अधिक से अधिक पौधा रोपण मय सुरक्षा

जाये।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल-कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी-बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल-कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन स्लेब व बर्तन जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था।
- विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकुद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकुद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना।

चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दुसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव सुरजनियावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र, मन्दिर, आम गवाड़, खेल मैदान इत्यादि में हाईमास्क लाईटें लगाई जावे।

सिवरेज

- ग्राम पंचायत के तीनों ग्रामों में सिवरेज लाईन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेन्टर

- ग्राम पंचायत के ग्राम- खेतोलाव, सुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमे युवाओं के लिए समन्वित जिम सेन्टर भी स्थापित करें।

सड़कें

- ग्राम पंचायत- गुगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम- खेतोलाव से गुगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावें। तथा तीनो गांवों की ढाणियों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावें। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के आबादी क्षेत्रों में कीचड़ व जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़कों का नि

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास की सरकारी ट्यूबवेल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवेल खुदवाकर आमजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जावे।
- गांवों में जहां-2 GLR नहीं है उन मोहल्लों में GLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवेल से जोड़ा जावे।
- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खेलियों का निर्माण किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ~~क~~ जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्त्रोत तालाब है तालाबों की खुदाई करवाकर उनके चारों ओर दीवार व पट्टों का निर्माण करवाया जावे।
- ग्राम- खेतोलाव व सुरजनियावास के लिए नहरी पानी हेतु बड़ी टंकी निर्माण करवाकर जावेद-थर प्रोजेक्ट दोनों गांवों की ढाणियों को नहरी पानी से जोड़ा जावे।

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनों गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावें।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पौण्ड, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें / राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें। फसलों के बचाव हेतु मेड़बन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को जंगली सूअरों व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके। कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे।

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास में आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं उनके लिए पृथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे।
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेटरीनेपकीन उपलब्ध करवाये
- ग्राम गगवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

(13)

(1) ग्राम हरिमा के सभी मार्गों ~~[illegible]~~ में सीसी रोड। Ro RSPCB 05/01/2018

(2) प्रमुख चौराहों व गवाड़ का सौन्दर्यीकरण जिसमें गवाड़ में सार्वजनिक शौचालय व प्याऊ का निर्माण

(3) ग्राम हरिमा में उपस्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सा केन्द्र

(4) सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष व पुस्तकालय का निर्माण

(5) सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण

(6) गाँव के युवाओं को स्कॉलरशिप व कोचिंग सहायता

(7) हरिमा के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित करना।

(8) स्थानीय युवाओं को कम्पनी में रोजगार

(9) स्थानिय ठेकेदारों को काम में प्राथमिकता।

(10) महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण आदि में प्रशिक्षण व रोजगार।

(11) वर्षाजल संग्रहण हेतु टांको का निर्माण।

(12) ODF मुक्त गांव बनाने में सहयोग।

(13) खेल का स्टेडियम बनाया जाता, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाऐं हो।

(14) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कम्पनी स्पोन्सर करे।

निवेदन :-
आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मांगो को प्राथमिकता देते हुए मंछुजा सीमेन्ट परियोजना की जनसुनवाई में दर्ज किया जाए और कंपनी द्वारा CSR के तहत शीघ्र अमल में लाया जाए, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

सादर
ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणजन

(T4)

Ro RSPCB
05/02/2026

हरिमा गाँव के समग्र विकास हेतु निवेदन"

दिनांक: 05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में हरीमा क्षेत्र की समस्त ढाणियों और गाँवों की विस्तृत जनहितकारी माँगें।

महोदय,

ग्राम हरीमा, एवं कृपा की ढाणियों के समस्त ग्रामीणों की ओर से हम अंबुजा सीमेंट कंपनी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने CSR के अंतर्गत समाजहित में सराहनीय कार्य ~~किए~~ है। करवाये जायेंगे।

हम आशा करते हैं कि यह सहयोग और सहभागिता आगे भी निरंतर बनी रहेगी।

🙏 ग्रामवासियों का सामूहिक निवेदन 🙏

हम निम्नलिखित 40+ बिंदुओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक माँगें आपके समक्ष रख रहे हैं:

1.. हरीमा से जिंदास तक डामर रोड का निर्माण।
2. ग्राम हरीमा की सभी गलियों में सीसी रोड।
3. प्रमुख चौराहों व गवाड़ का सौंदर्यकरण।
4. हरीमा व इसके आस पास के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का मजबूतीकरण।
5. ग्राम हरीमा में पशु चिकित्सा केंद्र

5-A - ग्राम हरीमा से ग्राम पिथासिया तक ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाना।

6. ग्राम हरीमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना।

7. मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती।

8. मातृ-शिशु केंद्रों की स्थापना।

9. जलजनित रोगों से बचाव हेतु RO प्लांट की स्थापना।

10. महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व स्वास्थ्य जागरूकता शिविर।

11. सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व पुस्तकालय का निर्माण।

12. स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब एवं प्रोजेक्टर की सुविधा।

13. गाँव के युवाओं को स्कॉलरशिप व कोचिंग सहायता।

14. लड़कियों को अलग लाइब्रेरी व डिजिटल शिक्षा केंद्र।

15.हरीमा के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित करना

16. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व मार्गदर्शन।

17. वर्तमान में चल रही CSR योजनाओं का और अधिक विस्तार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके।

18. स्थानीय युवाओं को कंपनी में प्राथमिकता से रोजगार।

19. स्थानीय ठेकेदारों को कार्यों में प्राथमिकता।

20. महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण आदि में प्रशिक्षण व रोजगार।

21. आत्मनिर्भरता हेतु स्वयं सहायता समूहों को सहयोग।

22. बुजुर्गों के लिए मासिक सहायता योजना।

23. सभी ढाणियों में नहरी पानी की सप्लाई के लिए बूस्टर सिस्टम।

24. सोलर पैनल लगाने हेतु आर्थिक सहयोग।

25. जल निकासी हेतु आधुनिक सीवरेज सिस्टम।

26. वर्षाजल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण।

27. गाँव के प्रमुख जगहों पर प्याऊ निर्माण

28. हरीमा की गौशाला में बारहमासी चारा, पानी, टीन शेड और बिजली व्यवस्था।

29. पशुपालकों के लिए नि:शुल्क दवा शिविर।

30. गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षण में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

31. खेल स्टेडियम का निर्माण जिसमें पिच, लाइट, बैठने की व्यवस्था।

32. इंडोर स्टेडियम जिसमें जिम की सुविधा हो।

32(B) ग्राम में ग्रीन हाउस का निर्माण करवाया जावे। (सभी प्रगतिशील किसानों को दिया जावे)

33. खिलाड़ियों को किट व कंपनी द्वारा प्रायोजन।

34. पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र / ओपन एयर थिएटर की स्थापना।

35. योग केंद्र व फिटनेस सेंटर।

36. सभी मंदिरों व देवस्थानों का जीर्णोद्धार।

37. शमशान भूमि में टिन शेड व बिजली।

38. नाथ समाज के नए व पुराने वाले समाधि स्थल का विकास में सहयोग करें।

39. सामुदायिक भवनों का निर्माण/मरम्मत।

40. ग्राम हरीमा में खारे पानी की ट्यूबवेल करवाने में सहायता करे जिससे हर घर में सुचारू रूप से पानी मिलता रहे।

41. आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्ष व फर्नीचर।

42. वृक्षारोपण अभियान का संचालन।

43. पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम।

44. प्रत्येक ढाणी में सोलर स्ट्रीट लाइट्स।

45. मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति बेहतर की जाए।

46- पढ़े लिखे युवकों को अनुपात के आधार पर नौकरी देना।

47- छोटे एवं प्रगतिशील किसानों के लिए विशेष बजट का प्रावधान करना एवं डिग्गियां एवं होदा का निर्माण करवाना।

निवेदन:

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त माँगों को प्राथमिकता देते हुए अंबुजा सीमेंट परियोजना की जनसुनवाई में दर्ज किया जाए और कंपनी द्वारा CSR के तहत शीघ्र अमल में लाया जाए, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

सादर,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणजन

🙏 धन्यवाद 🙏

उदाराम

जालमसिंह

दिलीपसिंह

पुखराज

[signatures]

(15)

Ro RSPCB
05/02/2026

हमारा सपना – विकसित हरीमा

दिनांक: 05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में ग्राम हरीमा की विस्तृत माँगें।

महोदय,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के तहत गांव में जनहितकारी कार्य जैसे - टांका निर्माण, सीवरेज लाइन।इत्यादि

इन प्रयासों से गाँव में शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास को नई दिशा मिली है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग आगे भी इसी तरह बना रहेगा।

ग्राम हरिमा परिवार की ओर से धन्यवाद सहित।

🙏 विनम्र आग्रह

इसी सकारात्मक सहयोग के क्रम में ग्रामवासी निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिन्हें पूरा कराना अति आवश्यक है:

1. कम्पनी के वाहनों द्वारा हरीमा के मुख्य मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस संपूर्ण मार्ग पर सीसी रोड़ का निर्माण किया जाए।
2. गांव के समस्त मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया जाए।
3. गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए।
4. गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम का प्रबंध किया जाए।

5. युवाओं को कंपनी में रोजगार दिया जाए।
6. गाँव के स्थानीय लोगों को कंपनी के कार्यों में ठेके दिए जाए।
7. गांव में खेल का स्टेडियम बनाया जाए और उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए।
8. गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए।
9. खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाड़ियों को कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया जाए।
10. गांव में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए।
11. गांव की गौशाला में बारह महीने तक चारे पानी की तथा गौशाला में टीन शेड का निर्माण किया जाए।
12. गांव में जलाशयों की मरम्मत की जाए तथा गांव की नाड़ी का सौंदर्यकरण किया जाए।
13. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल में नए कमरों का निर्माण एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
14. महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।
15. गरीबों के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण तथा अन्य को सहायता राशि दी जाए।
16. गरीबों के लिए मकान बनवाने में सहायता दी जाए।
17. सभी जातियों की शमशान भूमि में टीन शेड लगवाया जाए।
18. नहरी पानी की हर घर तक सप्लाई हेतु बूस्टर की व्यवस्था की जाए।
19. गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए तथा घरों में सोलर पैनल लगाने हेतु सहयोग राशि दी जाए।
20. क्रिकेट खिलाड़ियों हेतु किट, मैदान में पिच एवं लाइट की व्यवस्था की जाए।
21. आंगनवाड़ी में 2 कमरे बनवाकर फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
22. हरीमा में गवाड़ का सौंदर्यकरण किया जाए।
23. हरिमा की सभी मुख्य गलियों में सीसी रोड का निर्माण किया जाए।
24. गाँव के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए।
25. गाँव के सरकारी विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए जिसमें जिम भी हो।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि ग्राम हरिमा एवं कृपा की ढाणियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुगननाथ

प्रहलादनाथ

जयदीनाथ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Manvendra Singh

Bharat Nath

Lokesh

(16)

Ro RSPCB
05/02/2026

हमारा सपना – विकसित हरीमा

दिनांक: 5/2/26

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में ग्राम हरीमा की विस्तृत माँगें।

महोदय,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के तहत गांव में जनहितकारी कार्य जैसे - टांका निर्माण, सीवरेज लाइन।इत्यादि

इन प्रयासों से गाँव में शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास को नई दिशा मिली है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग आगे भी इसी तरह बना रहेगा।

ग्राम हरिमा परिवार की ओर से धन्यवाद सहित।

🙏 विनम्र आग्रह

इसी सकारात्मक सहयोग के क्रम में ग्रामवासी निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिन्हें पूरा कराना अति आवश्यक है:

1. कम्पनी के वाहनों द्वारा हरीमा के मुख्य मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस संपूर्ण मार्ग पर सीसी रोड़ का निर्माण किया जाए।
2. गांव के समस्त मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया जाए।
3. गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए।
4. गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम का प्रबंध किया जाए।

5. युवाओं को कंपनी में रोजगार दिया जाए।
6. गाँव के स्थानीय लोगों को कंपनी के कार्यों में ठेके दिए जाए।
7. गांव में खेल का स्टेडियम बनाया जाए और उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए।
8. गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए।
9. खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाड़ियों को कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया जाए।
10. गांव में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए।
11. गांव की गौशाला में बारह महीने तक चारे पानी की तथा गौशाला में टीन शेड का निर्माण किया जाए।
12. गांव में जलाशयों की मरम्मत की जाए तथा गांव की नाड़ी का सौंदर्यकरण किया जाए।
13. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल में नए कमरों का निर्माण एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
14. महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।
15. गरीबों के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण तथा अन्य को सहायता राशि दी जाए।
16. गरीबों के लिए मकान बनवाने में सहायता दी जाए।
17. सभी जातियों की शमशान भूमि में टीन शेड लगवाया जाए।
18. नहरी पानी की हर घर तक सप्लाई हेतु बूस्टर की व्यवस्था की जाए।
19. गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए तथा घरों में सोलर पैनल लगाने हेतु सहयोग राशि दी जाए।
20. क्रिकेट खिलाड़ियों हेतु किट, मैदान में पिच एवं लाइट की व्यवस्था की जाए।
21. आंगनवाड़ी में 2 कमरे बनवाकर फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
22. हरीमा में गवाड़ का सौंदर्यकरण किया जाए।
23. हरिमा की सभी मुख्य गलियों में सीसी रोड का निर्माण किया जाए।
24. गाँव के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए।
25. गाँव के सरकारी विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए जिसमें जिम भी हो।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि ग्राम हरिमा एवं कृपा की ढाणियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुगननाथ

प्रहलादनाथ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Singh

Bharat Nath

(17)

RO RSPCB
05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की जनसुनवाई हेतु ग्राम की प्रमुख माँगों के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम हरीमा के ग्रामवासी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत करते हैं। इन मांगों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा स्थायी विकास सुनिश्चित करना है:

- 1. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार: खनन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, सफाई आदि में गाँव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ।
- 2. CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से ग्राम विकास: स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधा, पीने का पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। CSR के तहत हरीमा में निम्नलिखित कार्य करवाए जाए
- 3. पर्यावरणीय और भूजल सुरक्षा: खनन शुरू करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा गारंटी दी जाए कि जलस्तर, खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव नहीं होगा।
- 4. पारदर्शी और समयबद्ध मुआवज़ा: प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा और वैकल्पिक जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- 5. ग्राम निगरानी समिति का गठन: ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन हो, जो खनन कार्यों पर निगरानी रखे तथा कंपनी के साथ नियमित संवाद में हो।
- 6. ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य हो: परियोजना स्वीकृति से पूर्व ग्रामसभा की लिखित सहमति ली जाए और कंपनी हर वर्ष ग्रामसभा को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- 7. ट्रक/वाहनों का नियंत्रण: भारी वाहनों की गति, संख्या और समय पर नियंत्रण रखा जाए ताकि गाँव की सुरक्षा बनी रहे।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी माँगों को ध्यान में रखते हुए ही परियोजना को स्वीकृति दी जाए। ग्रामवासियों की सहमति के बिना कोई कार्य प्रारंभ न किया जाए।

भवदीय,

[ग्रामवासियों की ओर से]

[ग्राम का नाम] - हरिमा

दिनांक 05/02/2026

Manvendra Singh

कीतराम

रामअवतार

मोहनलाल नाथ

दे नारायण

[illegible]

[illegible]

रामपाल

भागाराम

[illegible]

बजरंग नाथ

भगवान शर्मा पण्डित जी

रामा

प्रेमसिंह

Vikash

[illegible]

[illegible]

हरीकिशन [illegible]

(18)

सेवा में

RO RSPCB
05/01/2016

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर (राज.)

विषय:- अम्बुजा सीमेन्ट की खनन परियोजना में निम्न लिखित मांगों को पुरा किया जाए।

महोदय:- हम समस्त ग्राम वासी अम्बुजा सीमेन्ट से निम्न लिखित मांगे करते है, जिन्हे जल्द से जल्द पुरा किया जाए

(1) गाँव के सभी सरकारी विद्यालयों का विकास हो।
(2) रोड लाईट लगाई जाए।
(3) नाड़ी का सौन्दर्यीकरण किया जाए।
(4) सीवरेज लाईन को लेवल के अनुसार (ढलान) के लगायी जाए।
(5) हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।
(6) ब्लास्टिंग को नियंत्रित किया जाए, तथा इससे होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए।
(7) किसानों के खेतों में डिग्गी बनाई जाए।
(8) गवाड़ को विकसित किया जाए।

(9) किसानों को ड्रिप-सिंचाई में सहायता दी जाए।

(10) शिक्षा क्षेत्र मे विकास के लिए एक 150 सीट की लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए।

(11) खेल क्षेत्र में विकास के लिए एक अत्यंत आधुनिक सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण हो। जिसमें सभी खेलों के मैदान व खेल सामग्री उपलब्ध हो।

(12) हमारी प्रमुख माँग यह है कि जैव विविधता का पूर्णतया संरक्षण हो।

(13) स्थानीय क्षेत्र के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है इसलिए किसानो को बीज, उर्वरक व अन्य सुविधाएँ दी जाए। तथा पशुपालन के सम्बंध मे चारागाह क्षेत्र आंवटित किये जाए।

(14) आम आदमी की छः मुलभुत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए - (1) आय (2) शिक्षा (3) स्वास्थ्य
(4) जल (5) आवास व (6) जीवन-प्रत्याशा।

(15) गाँव के मध्य सामुदायिक भवन का नवनिर्माण करवाये जाये।

(16) स्थानीय विद्यालय जो कक्षा 8वी तक है उसे 12वी तक क्रमोन्नत करे। विद्यालय में (जल मंदिर, कम्प्यूटर लैब व सभी संकाय की व्यवस्था की जाए।

(17) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो।

(18) पशु चिकित्सा केन्द्र का निर्माण।

(19) स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

(20) वर्षा जल संरक्षण को बढावा दिया जाए।

(21) औद्योगीकरण का विकास सतत पोषणीय विकास की ~~परिभाषा~~ परिभाषा को ध्यान मे रखते हुए हो।

दि: 5/2/26

(13)

RO RSPCB
05/02/2025

दिनांक = 05/02/2025

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय = अंबुजा सीमेन्ट की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में हरिमा क्षेत्र की समस्त ढाणियों और गाँवो की विस्तृत जनहितकारी मांगे।

महोदय, ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के अंतर्गत समाजहित में सराहनीय कार्य जैसे:- टाँका निर्माण, सीवरेज लाईन, नेत्र शिविर इत्यादि प्रारम्भ किया है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग और सहभागिता आगे भी निरंतर बनी रहेगी।

ग्रामवासियो का सामूहिक निवेदन हम निम्नलिखित बिंदुओ के माध्यम से क्षेत्रिय विकास के लिए आवश्यक मांगो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं,

Ro RSPCB
05/12/2028

(20)

ग्राम- खेतोलाव की मांग

(1) विधालय की चार दीवारी को पुरा करने हेतु।
(2) विधालय में टाँके व कमरों का निमार्ण करवाये।
(3) ग्राम में ट्यूबवेल की खुदाई व G.L.R. का निर्माण करवाये।
(4) ग्राम में गरीबो के टांको का निर्माण करवाये
(5) ग्राम में रोड. लाईट की व्यवस्था करे।
(6) सभी जातियों के श्मशान भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनवाये।
(7) बूंद- बूंद की सिन्चाई ड्रिप मे सब्सिडी देने की कृपा करे।
(8) ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये
(9) ग्राम में शौचालय निर्माण की राशि दी जाये
(10) ग्राम में शिक्षित छात्राओं को कम्पनी में रोजगार देने की कृपा करे

हस्ताक्षर
Kailash
अर्जुनदास

9024415856

9783273896

RO RSPCB
05/02/2026

(21)

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 05/02/2026

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलावं, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 05/02/2026

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत मे लाइब्रेरी एव कम्प्युटर लेब बनाया जावे

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

RO RSPCB
05/01/2021

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय
जिला - नागौर (राज.)

विषय - ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव सुरजनियावास गाँवों में निम्नलिखित विकास कार्य करवाने के संबंध में।

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके।
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत - गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्त्रोत तालाब है जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहो में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (होद) का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व गोचर भूमि में अधिक से अधिक पौधारोपण मय सुरक्षा

की जाये।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल-कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी-बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल-कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन, स्टोर किचन स्लेब व बर्तन जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था।
- विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकूद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकूद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना।

चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव सुरजनियावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना, खेतोलाव व मुरजनियावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर आम गवाड़ खेलमैदान इत्यादि में हाईमास्क लाईटे लगाई जावे।

सिवरेज

- ग्राम पंचायत के तीनों ग्रामों में सिवरेज लाईन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेन्टर

- ग्राम पंचायत के ग्राम-खेतोलाव, मुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमे युवाओं के लिए समन्वित जिम सेन्टर भी स्थापित करें।

सड़के

- ग्राम पंचायत गगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम-खेतोलाव से गगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावें। तथा तीनों गांवों व ढाणियों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावें। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के आबादी क्षेत्रों में कीचड़ व जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़कों का निर्माण

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास की सरकारी ट्यूबवैल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवैल खुदवाकर आमजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- गांवों में जहां-2 GLR नहीं है उन मौहल्लों में GLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवैल से जोड़ा जाये।
- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खेलियों का निर्माण किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्त्रोत तालाब है तालाबों की खुद लेकर उनके चारों ओर दीवार व पेड़ों का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम-खेतोलाव व सुरजनियावास के लिए नहरी पानी हेतु बड़ी टंकी निर्माण करवाया जावे तथा प्रत्येक दोनों गांवों की ढाणियों को नहरी पानी से जोड़ा जाये।

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनो गांवो के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पॉण्ड, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें / राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें / फसलों के बचाव हेतु मेडबन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को (जंगली) सूअरो व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके / कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे /

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे /

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम गगवाना, खेलोलाव, सुरजनियावास तीनों के सर्व समाज के स्थित श्मशान भूमि के चारों तरफ चारदीवारी निर्माण कार्य करावें।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव व सुरजनियावास में आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं उनके लिए पृथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध करवावें
- ग्राम गगवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में हैं उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

ओंकारराम (पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गगवाना)

राधाकिशन

दिनेश बांगा (9001088051)

सहदेव बांगा

हरेन्द्र बांगा

हरेन्द्र

रतनसिंह भाटी

महेन्द्रसिंह भाटी

जगदीश

ओमप्रकाश

महेन्द्र

किशनाराम

रामरतन

कानसिंह

हरसुखराम

महेन्द्र

हरसुखराम

हरसुखराम

जीतुराम

पूर्व सरपंच गगवाना

जयपाल खोजा
9772438203
महिपाल ईनाणियाँ
9982344469
ओमप्रकाश खोजा
9982983798
सहदेव खोजा
9982551595
सहदेश खोजा S/o ओमप्रकाश
9928159977
फरीद सिद्दीकी
9785399598
हनुमान
7727077598
हरकाराम
9829885471
श्यामलाल रावल
9660513186
अमराराम
रामूराम
मघी देवी
छोटूदास
kailash
[illegible]
सुन्दर राम
[illegible]
[illegible]
बाबूलाल जांगिड़

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

RO RSPCB
05/02/2026

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

सेवामें

अपर जिला कलेक्टर महोदय,
जिला–नागौर (राज.)

विषय : अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के संदर्भ में ग्रामों के सामाजिक विकास संबंधी सुझाव।

महोदय,

हम ग्राम पंचायत भदाना के गांव–पीथासिया के निवासी यह अवगत कराना चाहते है कि अबुंजा [redacted]ट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नागौर चूना पत्थर खदान से क्षेत्र के विकास की अच्छी संभावनाएँ है । इसके साथ साथ हम निम्नलिखित सामाजिक एवं आधारभूत अपेक्षाएँ रखते है ।

1. खनन वाहनों से गॉव की सडको को क्षति न पहुँचे, इसके लिए सडक मरम्मर एवं नियमित रखरखाव किया जाए ।
2. गॉवों मे धार्मिक आयोजन मे सहयोग करे ।
3. गॉवों मे सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाये ।
4. गॉवो मे रात्रि सुरक्षा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएँ ।
5. महिलाओं के लिए स्वरोजगार, शिक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएँ ।
6. गॉवो मे अंतर्गत विघालय, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक विकास कार्यो में सहयोग किया जाए ।

यदि उपरोक्त बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तो यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्व होगी । इस आशा के साथ हम निवेदन करते है कि हमारी मांगो को स्वीकार कर उन्हें पूर्ण करने की कृपा करें । इस कार्य में हमारा सहयोग सदैव बना रहेगा ।

स्थान – हरिमा

दिनांक – 5/2/2026

चन्दा
प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
. पं.स.नागौर .

आवेदक समस्त ग्राम वासी भदाणा

Ro RSPCB
05/01/2026

(24)

54

Date / /

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

विषय :-

(1) सुरजनियावास (ग्राम पंचायत गगवाना) ग्राम विकास में सम्मिलित किया जावे।

(2) घर-घर - आबादि व खेतो में टांका निर्माण करवाये।

(3) तालाबो का सौन्दर्यकरण करवाया जावे।

(4) गाँव में हाई मास्क लाइट लगवाई जावे।

(5) स्कूल व आंगनवाडी का कार्य किया जावे।

(6) श्मसान भूमि जाटो की में टिन-सेड बाँऊड्री व गेट का निर्माण किया जावे।

(7) पार्क - खुरा - सी-सी रोड आदि कार्य करवाया जावे।

(8) सुरजनियावास से चामुण्डा 2 KM का सडक निर्माण करवाये

(9) सुरजनियावास से सोमणा तक 3 KM (ऊँडी वाला आम रास्ता) का सडक निर्माण करवायें।

(10) सुरजनियावास में सामुदायिक भवन व मन्दिर का निर्माण करवाया जावे। राधाकिशन

किशोरराम भगवानाराम अर्जुन
तुलछाराम रामनिवास उरजाराम
[illegible] शैतानराम
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] भीयांराम
ओमप्रकाश। Ravindra
श्रीराम बाजया तेजाराम
[illegible]
रामप्रसाद
राजेन्द्र हरजीराम

(25)

RO RSPCB
05/02/2016

55

Date / /

सेवा मे

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

विषय :-

ग्राम सुरजनियावास को अम्बुजा सीमेंट कम्पनी के विकास कार्य में सम्मलित करने ~~हेतु~~ में खर्च समस्त CSR व CER के रुपये पूर्ण रुप से पंचायत ~~हेतु~~ करने

① - गगवाना पंचायत (गगवाना, सुरजनियावास, खेतोलाव) तीनो गाँवो को विकास कार्य में जोडा जावे।

② - सुरजनियावास में सडक किनारे, खेल मैदान, श्मसान भूमि, व ~~स्कूल~~ विद्यालय में पेड़ पौधो को लगवाया जावें।

③ - कृषि में बूँद-बुंद सिचांई (ड्रीप परियोजना) व खेतो मे मेड तारबन्दी और डीग्गी निर्माण करवाया जावे।

④ - खेतो में रिन-सेड सहित टांका निर्माण करवाये।

⑤ - कृषि उपयोग में ट्रेक्टर व कृषि यंत्रो में ~~सब्स~~सीडी दि जावे।

⑥ - सिंचित व असिंचित में फसल खराबा होने पर उचित मुआवजा दिलवाया जावे।

किशोरराम भगवानाराम अर्जुन
राधाकिशन रामनिवास तुलछाराम उरजाराम
राधाकिशन भीयाराम रामप्रसाद

ओमप्रकाश Ravindra मुताराम Rajendra

सहदेव तेजाराम हरजीराम

(1) सुरजनियावास व खतलाव गगवाना तीनों गांवों का बिज वितरण फ्री किया जावें

(2) सुरजनियावास व गगवाना खतलाव कि काकड सरहद है पंचायत गगवाना है कम्पनी का बॉलड सुरजनियावास गगवना कि जमीन से निकलगा अतः दोनो गांवों को कम्पनी के विकास कार्य में सम्मलीत किया जावें

Ro RSPCB 05/02/2026

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

सेवामें,

अपर जिला कलेक्टर महोदय
जिला - नागौर (राज.)

विषय: जनसुनवाई में विकास कार्य बाबत:

1) आज पिलासीया ग्राम पंचायत भदाणा का हिस्सा है। जन सुनवाई मे विकास कार्य का लेख हुआ उनमे. भदाणा को भविष्य में होने वाले CSR CER. के लिये सम्मलित किया जाय. क्योंकि आज पिलासीया ग्राम पंचायत भदाणा का हिस्सा

2) पिलासीया गाँव का हर किसान परिवार को बीज वितरण होना चाहिये

3) पिलासीया के हर घर मे पानी का टंका बनवाया जाय.

प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

पिपासिया ग्राम में योग्यता अनुसार हर घर मे एक नौकरी दी जावे।

पिपासीया ग्राम में एक बोरवेल करवाकर और R.O. प्लान्ट पानी का लगाकर हर घर पानी पहुंचाया जावे

पिपासिया ग्राम हर गली मे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।

चन्दा

प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स.नागौर

खेल सामग्री

1) जूडो ड्रेस ⇒ 4
2) जूडो मेट ⇒ 10 गद्दे
3) ट्रैक शूट ⇒ 15
4) बैडमिंटन ⇒ 4 जोड़ी
5) बैटिंग मशीन ⇒ 1
6) शटल ⇒ 4 पैकेट
7) कुश्ती ड्रेस ⇒ 4
8) वॉलीबॉल बॉल और नेट

मैदान

1) 200 मीटर ट्रैक
2) खो-खो मैदान
3) कबड्डी मैदान
4) वॉलीबॉल मैदान
2) क्रिकेट किट

50 अबेकस किट
टीचर्स & लर्नर्स

लाईट फिटिंग (स्कूल)
जल मंदिर (स्नाक)
पानी की मोटर

Ro RSPCB
05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की जनसुनवाई हेतु ग्राम की प्रमुख माँगों के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम **हरीमा** के ग्रामवासी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत करते हैं। इन मांगों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा स्थायी विकास सुनिश्चित करना है:

- 1. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार: खनन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, सफाई आदि में गाँव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ।
- 2. CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से ग्राम विकास: स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधा, पीने का पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। CSR के तहत हरीमा में निम्नलिखित कार्य करवाए जाए

- 3. पर्यावरणीय और भूजल सुरक्षा: खनन शुरू करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा गारंटी दी जाए कि जलस्तर, खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव नहीं होगा।
- 4. पारदर्शी और समयबद्ध मुआवज़ा: प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा और वैकल्पिक जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- 5. ग्राम निगरानी समिति का गठन: ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन हो, जो खनन कार्यों पर निगरानी रखे तथा कंपनी के साथ नियमित संवाद में हो।
- 6. ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य हो: परियोजना स्वीकृति से पूर्व ग्रामसभा की लिखित सहमति ली जाए और कंपनी हर वर्ष ग्रामसभा को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- 7. ट्रक/वाहनों का नियंत्रण: भारी वाहनों की गति, संख्या और समय पर नियंत्रण रखा जाए ताकि गाँव की सुरक्षा बनी रहे।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी माँगों को ध्यान में रखते हुए ही परियोजना को स्वीकृति दी जाए। ग्रामवासियों की सहमति के बिना कोई कार्य प्रारंभ न किया जाए।

भवदीय,
[ग्रामवासियों की ओर से]
[ग्राम का नाम]

5/2/2026

Manvendra Singh

कमीत शर्मा

रामअवतार

मोहनलाल नारायण

नारायण

रामपाल

जयराम

किशन

बजरंग नाथ

भगवान शर्मा पण्डित जी

शर्मा

पूनमसिंह

Vikesh

हरीकिशन शर्मा

Ro RSPCB
08/01/2021

सेवा में

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर (राज.)

विषय:- अम्बुजा सीमेंट की खनन परियोजना में निम्नलिखित मांगों को पूरा किया जाए

महोदय:- हम समस्त ग्रामवासी अम्बुजा सीमेंट से निम्नलिखित मांगे करते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पुरा किया जाए

(1) गाँव के सभी सरकारी विद्यालयों का विकास हो।
(2) रोड लाईट लगाई जाए।
(3) नाड़ी का सौन्दर्यीकरण किया जाए।
(4) सीवरेज लाईन को लेवल के अनुसार (ढलान) के लगायी जाए।
(5) हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।
(6) ब्लास्टिंग को नियंत्रित किया जाए, तथा उससे होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए।
(7) किसानों के खेतों में डिग्गी बनाई जाए।
(8) गवाड़ को विकसित किया जाए।

(9) किसानों को ड्रिप- सिंचाई में सहायता दी जाए।

(10) शिक्षा क्षेत्र मे विकास के लिए एक 150 सीट की लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए।

(11) खेल क्षेत्र में विकास के लिए एक अत्यंत आधुनिक सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण हो। जिसमें सभी खेलों के मैदान व खेल सामग्री उपलब्ध हो।

(12) हमारी प्रमुख माँग यह है कि जैव विविधता का पूर्णतया संरक्षण हो।

(13) स्थानीय क्षेत्र के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है इसलिए किसानो को बीज, उर्वरक व अन्य सुविधाएँ दी जाए। तथा पशुपालन के सम्बंध मे चारागाह क्षेत्र आंवटित किये जाए।

(14) आम आदमी की मूलभुत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए - (1) आय (2) शिक्षा (3) स्वास्थ्य (4) जल (5) आवास (6) जीवन-प्रत्याशा

(15) गाँव के मध्य सामुदायिक भवन का नवनिर्माण करवाये जाए

(16) स्थानीय विद्यालय जो कक्षा 8वी तक है उसे 12वी तक क्रमोन्नित करे। विद्यालय में (- जल मंदिर, कम्प्युटर लैब व सभी संकाय की व्यवस्था की जाए।

(17) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो।

(18) पशु चिकित्सा केन्द्र का निर्माण।

(19) स्थानीय लोगो को योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

(20) वर्षा जल संरक्षण को बढावा दिया जाए।

(21) औद्योगीकरण का विकास सतत पोषणीय विकास की [illegible]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
की
प्रस्तावित पी.एस.बी. 07 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
(क्षेत्रफल: 4.80 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
Latitude: 27.263222
Longitude: 73.856092
Elevation: 323.68±5.85 m
Accuracy: 13.21 m
Time: 02-02-2026 16:38
Note: v

Latitude: 27.263226
Longitude: 73.856087
Altitude: 276.4±10.9 m
Accuracy: 7.886 m
Time: 02-02-2026 16:37
Note: v

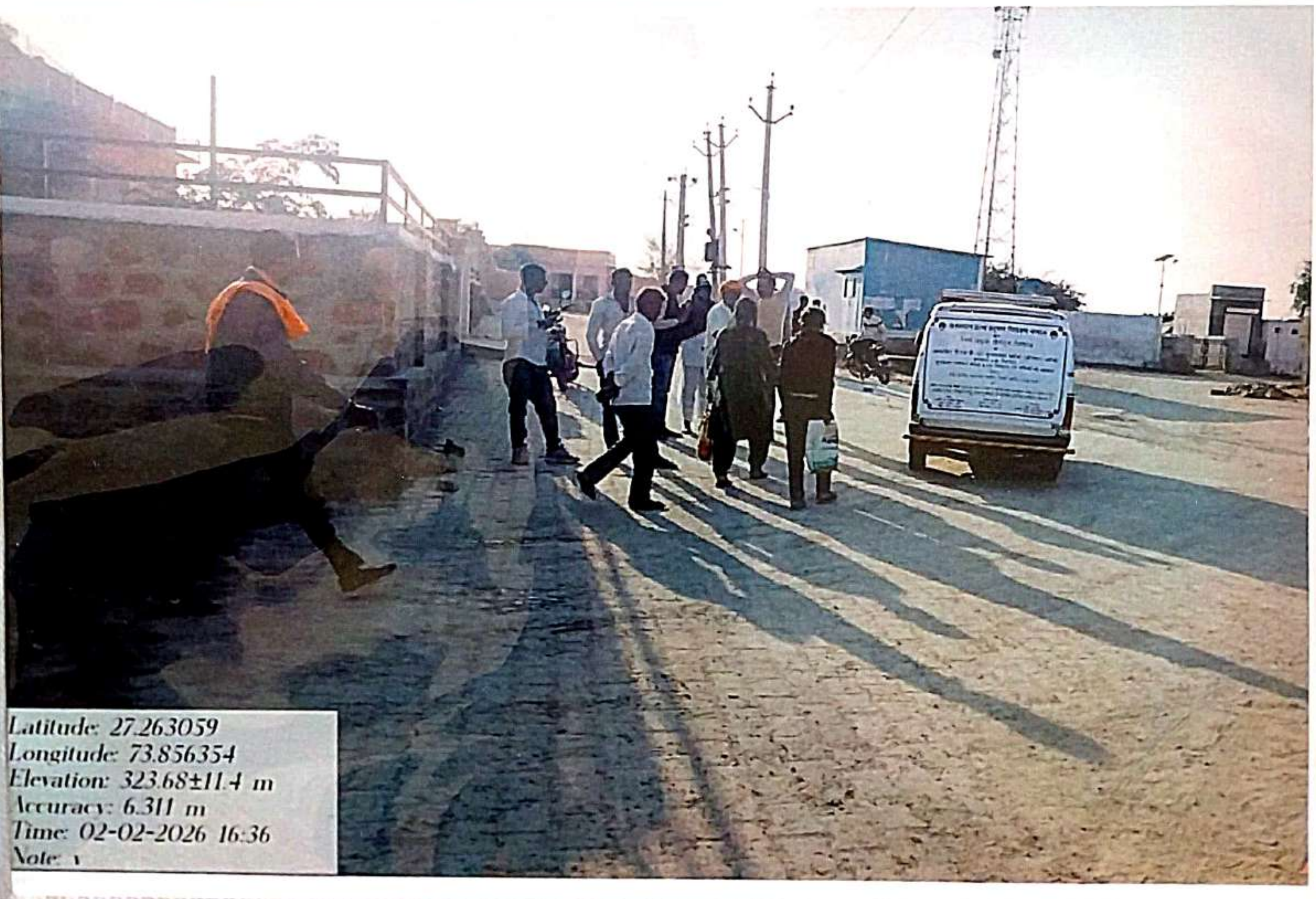
Latitude: 27.263059
Longitude: 73.856354
Elevation: 323.68±11.4 m
Accuracy: 6.311 m
Time: 02-02-2026 16:36
Note: v

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
की
प्रस्तावित पी.एस.बी. 07 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
(क्षेत्रफल: 4.80 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
स्थित
गाँव: हरीमा, तहसील: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान
की
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है
दिनांक 05 फरवरी 2026
Latitude: 27.2626
Longitude: 73.858264
Elevation: 308.74±12.8 m
Accuracy: 26.12 m
Time: 02-02-2026 16:03
Note: v

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
प्रस्तावित पी.एस.बी. 07 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
(क्षेत्रफल: 4.80 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
प्रस्तावित पी.एस.बी. 06 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
(क्षेत्रफल: 4.80 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना

शिव

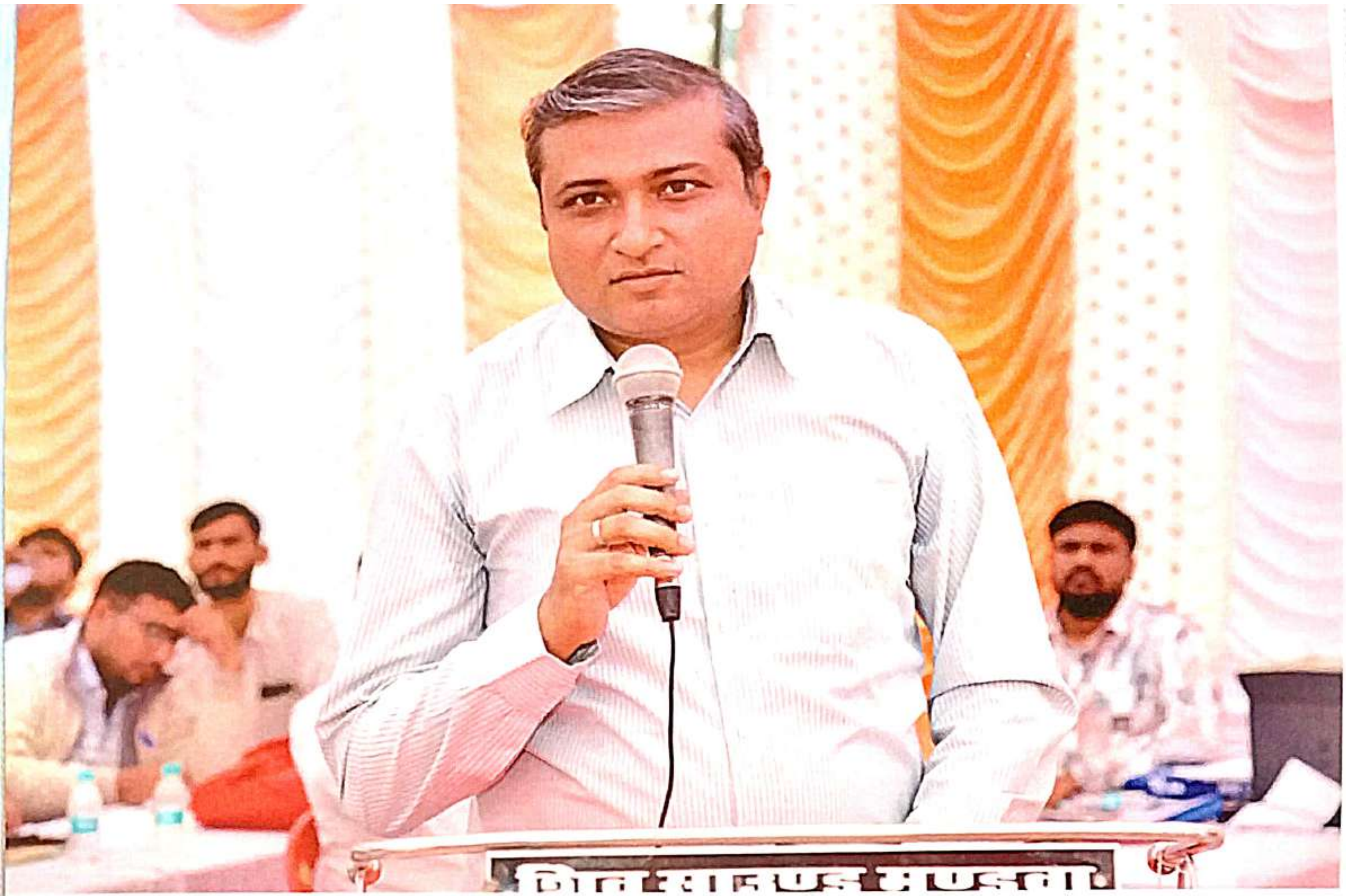

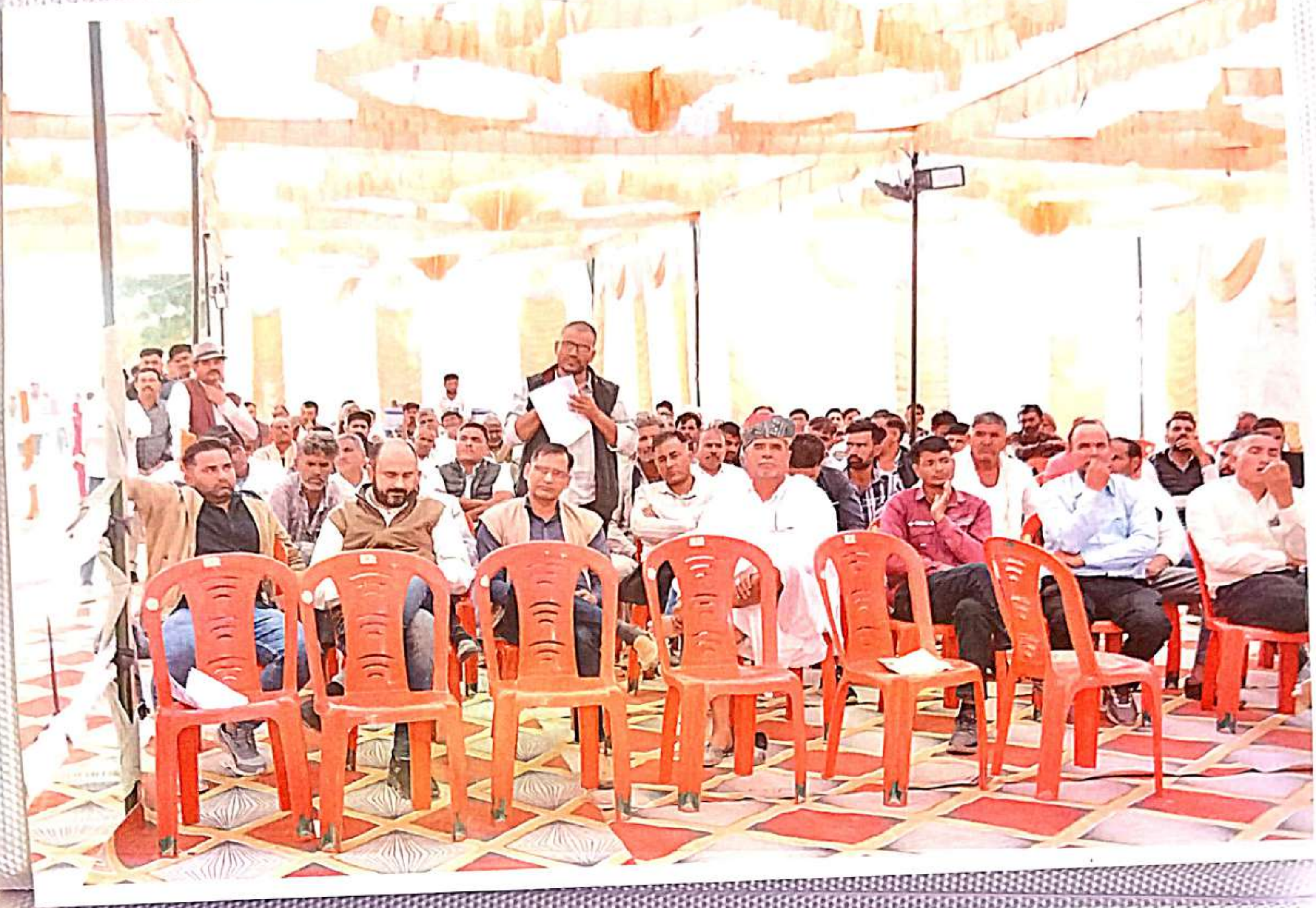

शिव साउण्ड मुण्डवा